पंजीकृत संख्या—यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2008-11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड—10] रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 मई, 2009 ई० (बैशाख 19, 1931 शक सम्वत्) [संख्या—19

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1—विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	151—176	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	191—200	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सिंचाई अनुभाग

सेवानिवृत्ति विज्ञप्ति

02 अप्रैल, 2009 ई0

संख्या 814/II–2009–01(46)/2003–एतद्द्वारा यह विज्ञापित किया जाता है कि उत्तराखण्ड प्रदेश वैज्ञानिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2003 (सिंचाई विभाग) के अन्तर्गत श्रेणी "ख" के निम्न अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जायेंगे :–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री रामकृष्ण यादव	सहायक शोध अधिकारी	13–06–49	30–06–2009
2.	श्री जय प्रकाश	सहायक शोध अधिकारी	21–06–49	30–06–2009

विनोद फोनिया,
सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3

अधिसूचना

09 अप्रैल, 2009 ई0

संख्या 476/X–3–2009–13(41)/2007–राज्य में स्थापित एवं स्थापित होने वाले खतरनाक तथा अतिखतरनाक प्रकृति के कारखानों में विभिन्न प्रकार के रसायनों के होने वाले उपयोग के फलस्वरूप सम्भावित दुर्घटना से बचने, दुर्घटना के समय आपात स्थिति से निपटने एवं दुर्घटना के समय विशेषज्ञ राय प्रदान किए जाने तथा इन कारखानों में कार्यरत श्रमिकों का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–1920 VIII/90–श्रम/2007, दिनांक 17 सितम्बर, 2008 द्वारा गठित State Crisis Group को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमित करते हुए The Chemical Accidents (Emergency Planning, Preparedness & Response) Rules, 1996 के नियम 6 के तहत उपरोक्त सम्बन्ध में राज्य स्तर पर State Crisis Group के निम्नानुसार गठन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
(ii)	प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(iii)	सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य सचिव
(iv)	सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(v)	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(vi)	सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(vii)	सचिव/आयुक्त, परिवहन विभाग	सदस्य
(viii)	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
(ix)	चार नामित विशेषज्ञ (औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य)–	सदस्य

1. श्री आर० के० शर्मा (जेटी० जनरल मैनेजर
एम/एस इण्डियन ग्लाइकोल लि०,
काशीपुर बाजपुर रोड, ऊधमसिंह नगर — सदस्य

2. श्री प्रदीप कुमार सैनी (डिप्टी मैनेजर, प्लांट)
एम/एस इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०
एल०पी०जी० बॉटलिंग प्लांट, मोटा हल्दू, हल्द्वानी — सदस्य

3. श्री जी०के० पाण्डे (मैनेजर–सेफ्टी) एम/एस टाटा मोटर्स लि०
सिडकुल, पंतनगर, ऊधमसिंह नगर — सदस्य

4. श्री ए०के० मिश्रा (सेफ्टी ऑफिसर)
एम/एस सेन्च्यूरी पल्प एण्ड पेपर मिल लि०
लाल कुँवा, जिला–नैनीताल — सदस्य

(x) निदेशक (औद्योगिक सुरक्षा)/चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्टरीज — सदस्य

(xi) फायर चीफ — सदस्य

(xii) पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य

(xiii) श्री के०के० पाण्डे, सीनियर मैनेजर सेफ्टी,
एम/एस टी०एच०डी०सी० लिमिटेड, न्यू टिहरी
(राज्य सरकार द्वारा उद्योग क्षेत्र से नामित सदस्य) — सदस्य

State Crisis Group के दायित्व :

1. सभी जिलों के OFF SITE EMERGENCY PLAN का मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट हैजार्डस केमिकल्स रूल्स के अनुसार review करना तथा प्रत्येक तिमाही पर इसकी रिपोर्ट Central Crisis Group को भेजना।

2. State Crisis Group राज्य स्तर पर वृहद रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए शीर्ष संस्था होगी और यह राज्य सरकार को कारखानों में रसायनिक दुर्घटना के समय तकनीकी व विशेषज्ञ राय देकर मदद प्रदान करेगी।

3. राज्य में रासायनिक कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने तथा उनसे निपटने के लिए विभिन्न योजनाओं को बनाने में राज्य सरकार को तकनीकी मदद करना।

4. किसी बड़ी रासायनिक दुर्घटना होने के उपरान्त लगातार उस कारखाने पर मॉनिटरिंग करना तथा उसकी रिपोर्ट Central Crisis Group को भेजना।

5. सभी District Crisis Group की प्रगति रिपोर्ट को Review करना।

6. District Crisis Group की जिज्ञासाओं का समाधान करना।

7. राज्य में किसी भी रासायनिक दुर्घटना के समय उससे निपटने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ व अधिकारियों की सूची तैयार करना।

State Crisis Group में प्राविधानित नामित विशेषज्ञ सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया जाता है। जिसे राज्य सरकार द्वारा इससे पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है।

The Chemical Accidents (Emergency, Planning, Preparedness & Response) Rules, 1996 के नियम 6 व 8 के संगत प्रावधानों के अनुसार State Crisis Group, District Crisis Group तथा Local Crisis Group में श्रम विभाग के अधिकारीगण सदस्य सचिव हैं। अतः उक्त Crisis Groups के क्रियाकलापों का संचालन श्रम विभाग के स्तर से सम्पन्न होगा।

आज्ञा से,

अनूप वधावन,
सचिव

शिक्षा अनुभाग–6

दून विश्वविद्यालय, केदारपुर, देहरादून की प्रथम परिनियमावली, 2008

अधिसूचना

28 अप्रैल, 2009 ई0

संख्या 142/XXIV(6)/2009–दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 23 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, दून विश्वविद्यालय के संचालन हेतु निम्नलिखित प्रथम परिनियम बनाते हैं–

1–संक्षिप्त शीर्ष और प्रारम्भ [धारा 23 (1)]–

(1) इस परिनियमावली का संक्षिप्त शीर्षक दून विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 है।

(2) यह परिनियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करने की तारीख से प्रवृत्त होगे।

2–परिभाषाए–

इन परिनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) 'शैक्षिक क्रिया कलाप' से विश्वविद्यालय के शिक्षण, शोध, ज्ञान/सूचना का प्रसार अभिप्रेत है;

(ख) 'अधिनियम' से दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

(ग) 'केन्द्र' से विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान किए जाने के लिए शैक्षिक गतिविधियां निष्पादन करने हेतु स्थापित शैक्षिक केन्द/अध्ययन केन्द अभिप्रेत है;

(घ) 'अध्यक्ष' से विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष और केन्द्र अथवा प्रभाग अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) 'कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रतिकुलपति', 'कुलसचिव' और 'वित्त अधिकारी' से क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) 'मुख्य छात्रावास अधीक्षक', 'छात्रावास अधीक्षक', और 'सहायक छात्रावास अधीक्षक' से क्रमशः विश्वविद्यालय के छात्रावास के मुख्य छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक और सहायक छात्रावास अधीक्षक अभिप्रेत है;

(छ) 'संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) से विश्वविद्यालय के अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) अभिप्रेत है;

(ज) 'संकाय विकास समिति' से संकाय की विकास समिति अभिप्रेत है;

(झ) 'संकाय चयन समिति' से संकाय की चयन समिति अभिप्रेत है;

(ञ) 'छात्रावास' से विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए आवास अभिप्रेत है;

(ट) विश्वविद्यालय के 'अधिकारी', 'प्राधिकारी', 'कोर्ट (सभा)', 'कार्य परिषद्', 'शैक्षिक (विद्वत) परिषद्' और 'संकाय' से क्रमशः विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राधिकारी, सभा, कार्य परिषद्, शैक्षिक (विद्वत) परिषद् और संकाय अभिप्रेत हैं;

(ठ) 'विहित' से अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) 'आचार्य/प्राध्यापक', 'सह–आचार्य/सह प्राध्यापक', 'सहायक आचार्य/सहायक प्राध्यापक' से विश्वविद्यालय के अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप नियुक्त प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक अभिप्रेत है;

(ढ) 'स्कूल संकाय परिषद्' से स्कूल का संकाय परिषद् अभिप्रेत है;

(ण) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(त) 'विश्वविद्यालय' से दून विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(थ) 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है।

3–कुलपति (धारा–11)–

(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा, जो तीन वर्ष की अवधि के लिए पदभार ग्रहण करेगा;

(2) कुलपति का वेतनमान ऐसा होगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय और वह ऐसे भत्ते प्राप्त करेगा, जैसे विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों को अनुमन्य होंगे :

परन्तु यह कि कुलपति की सेवाओं की शर्तों एवं निबंधनों में उसकी कार्यावधि में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी मामले में कुलपति पेंशनधारी हो या पेंशन पाने के लिए अर्ह हो तो उसकी परिलब्धियां राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएंगी।

(3) कुलपति को निःशुल्क सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका रखरखाव विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(4) कुलपति को अनुमन्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते ऐसे होंगे, जैसे कार्य परिषद् द्वारा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अवधारित किये जाएं। वह निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर यथा संशोधित शर्तों और दरों पर विश्वविद्यालय के चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर बाह्य चिकित्सकीय सहायता के लिए संदर्भित किए जाने पर चिकित्सा मूल्य के समतुल्य प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा।

(5) कुलपति, विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों को अनुमन्य अवकाश के अनुरूप अवकाश प्राप्त करने का हकदार होगा।

(6) यदि कुलपति तीन माह से कम की अवधि के लिए किसी भी कारणवश अवकाश पर हो तो वह प्रति-कुलपति, यदि उपलब्ध हो, या विश्वविद्यालय के संकाय में से योग्य वरिष्ठतम सदस्य अथवा संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) को कुलपति के पद पर नियुक्त करेगा।

(7) यदि किसी मामले में कुलपति ने तीन माह से अधिक अवकाश या उसके अवकाश की अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी कारण से कार्यभार ग्रहण न किया गया हो, या ऐसी रिक्ति, जिसे शीघ्रता से नहीं भरा जा सकता हो, तो कुलाधिपति छः माह की अवधि या कुलपति के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख तक, इसमें जो भी कम हो, के लिए विश्वविद्यालय में प्रति-कुलपति या वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है। कुलाधिपति ऐसे मामले में कुलपति की नियुक्ति की अवधि को विस्तारित कर सकता है, परन्तु ऐसी नियुक्ति की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4-कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य [धारा 11 (6)]-

(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षिक अधिकारी होगा और सम्पूर्ण शैक्षिक तथा व्यवसायिक गतिविधियों, अनुशासन और दक्षता की प्रगति के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् और शैक्षिक (विद्वत) परिषद् की बैठकें अध्यक्ष के रूप में आहूत करेगा।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय में कुलाधिपति की अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(4) कुलपति, विश्वविद्यालय के आय-व्ययक, लेखा विवरण एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) आपात स्थिति घटित होने में, तुरन्त अपेक्षित कार्रवाई के लिए कुलपति अपनी ओर से ऐसी कारवाई जैसा आवश्यक हो, कर सकेगा और वह अधिकारी/अधिकारियों या प्राधिकारी/प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई किए जाने की प्रत्याशा में निर्णय ले सकेगा।

(6) कुलपति नियुक्तियों, निलम्बन, पदच्युति या संकाय के सदस्यों, अधिकारियों या कर्मचारियों, जिनके लिए कार्य परिषद् नियुक्ति प्राधिकारी है, के संबंध में कार्य परिषद् के निर्देशों को प्रभावी करेगा।

(7) कुलपति, कार्य परिषद् के परामर्श के उपरान्त, विश्वविद्यालय में प्रत्येक शाखा के लिए संकाय चयन समिति/समितियों को नियुक्तियों को सुकर बनाने के लिए उपलब्ध विशेषज्ञों में से पाँच विशेषज्ञों का एक पैनल राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा। पैनल तीन वर्षों की अवधि के लिए मान्य रहेगा।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसा कि विहित किया जाए।

5–प्रतिकुलपति (धारा 12)–

(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति स्कूलों के संकायाध्यक्षों/केन्द्रों के निदेशकों/विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में से की जायेगी।

(2) प्रतिकुलपति की नियुक्ति की अवधि कुलपति की अवधि के साथ ही समाप्त हो जायेगी।

(3) प्रतिकुलपति को निःशुल्क सुविधाओं युक्त आवास उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) प्रतिकुलपति, कुलपति द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट कार्यों में सहायता करेगा एवं ऐसी अन्य शक्तियों और दायित्वों का निर्वहन करेगा, जैसे कुलपति द्वारा सौंपे जाएं।

6–संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) (धारा 13)–

(1) संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसकी कार्यावधि तीन वर्ष होगी, जिसे तीन वर्ष के लिए अगली कार्यावधि हेतु कुलपति द्वारा विशेष परिस्थितियों में विस्तारित किया जा सकेगा।

(2) संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) संबंधित स्कूल का प्रधान संकायाध्यक्ष होगा और कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा,

परन्तु, यह कि जब संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) का पद रिक्त हो या किसी कारण से वह दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हो तो उसके पद का कार्यभार ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्वहन किया जायेगा, जिसे कुलपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किया जाए।

(3) स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता)–

(क) स्कूल में शिक्षण तथा शोध क्रियाकलापों के संचालन तथा सामान्य आयोजन के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) शैक्षणिक कार्यक्रमों और संबंधित स्कूल की नीतियों को बनाएगा;

(ग) स्कूल में अपेक्षित शैक्षणिक और प्रशासनिक मानकों के रख–रखाव को सुनिश्चित करेगा;

(घ) परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में उपबन्धित प्राविधानों के अधीन अनुशासन और उपयुक्त अनुपालन सुनिश्चित करेगा;

(ङ) स्कूल संकाय परिषद् का अध्यक्ष होगा;

(च) स्कूल में शिक्षण प्रगति का अनुश्रवण और स्कूल द्वारा दिए गए पाठ्यक्रमों में छात्रों की उपलब्धि की प्रस्थापना करेगा;

(छ) स्कूल में शोध गतिविधियों की प्रगति और विभिन्न कालिक शोध कार्यक्रमों की प्रगति का अनुश्रवण करेगा;

(ज) स्कूल के शिक्षण क्रियाकलापों के नियत क्षेत्र में जानकारी के प्रसार की सुविधा उपलब्ध करायेगा;

(झ) स्कूल का बजट तैयार करेगा, शिक्षकों के अवकाश, व्यवहारिक बैठकें, सम्मेलन, सेमिनार में शिक्षकों को प्रतिभाग करने हेतु तदनुसार अनुमति प्रदान करेगा;

(ञ) समय–समय पर स्कूल के शिक्षण और अन्य क्रियाकलापों के बारे में कुलपति को सूचना देगा;

(ट) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और जनसामान्य से सम्पर्क बनाने के लिए मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करेगा; और

(ठ) कुलपति द्वारा समय–समय पर निर्देशित अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

7–कुलसचिव : कर्तव्य (धारा 14)–

(1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। कुलसचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी परिनियम 23 के खण्ड(ब) में दिहित है।

(2) कुलसचिव–

(क) सभा, कार्य परिषद् तथा शैक्षिक (विद्वत) परिषद् का पदेन सचिव होगा;

(ख) विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रवेश, और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का संचालन तथा छात्रों को परीक्षाफल रिपोर्ट जारी करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ग) विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री तथा डिप्लोमा की पंजी का रख–रखाव करेगा;

(ङ) विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातकों की एक पंजी का रख–रखाव करेगा;

(च) शैक्षिक कलैण्डर तैयार करेगा और शैक्षिक विनियमों/अध्यादेशों का कडाई से पालन सुनिश्चित कराएगा, और

(छ) विश्वविद्यालय की ओर से विधिक मामलों पर कार्रवाई करेगा।

(3) कुलसचिव की अनुपस्थिति में, कुलपति किसी व्यक्ति को कुलसचिव के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त कर सकता है।

8–वित्त अधिकारी, उसकी शक्तियां एवं कृत्य (धारा 15)–

(1) वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। वित्त अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी परिनियम 23 के खण्ड (8) के उपखण्ड(ख) में विहित है।

(2) वित्त अधिकारी की अनुपस्थिति में, कुलपति किसी व्यक्ति को वित्त अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त कर सकता है।

(3) वित्त अधिकारी–

(क) विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा;

(ख) कार्य परिषद् या कार्य परिषद् द्वारा गठित समितियों के अभिलेखों का रख–रखाव और बैठकों हेतु सूचना पत्र जारी करेगा;

(ग) कार्य परिषद् के पदीय पत्र–व्यवहार का संचालन करेगा; और

(घ) कुलपति द्वारा समय–समय पर सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(4) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का बजट तैयार करेगा और लेखा से संबद्ध समस्त विवरणों का रख–रखाव करेगा।

(5) वित्त अधिकारी कार्य परिषद् में बिना मताधिकार के विशिष्ट आमन्त्रित के रूप में प्रतिभाग करेगा।

9–विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी (धारा 9)–

(1) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी निम्नवत होंगे :–

(क) अधिष्ठाता छात्र कल्याण;

(ख) मानव संसाधन अधिकारी;

(ग) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष।

(क) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण :

(1) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। अधिष्ठाता छात्र कल्याण की नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी इन परिनियम 23 के खण्ड (8) में विहित है।

(2) अधिष्ठाता छात्र कल्याण–

(एक) छात्रों के लिए आवासीय एवं भोजन की सेवाओं की व्यवस्था करेगा,

(दो) विश्वविद्यालय में साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रिया–कलापों का आयोजन करेगा,

(तीन) विश्वविद्यालय में खेल और अन्य आमोद–प्रमोद क्रिया–कलापों का आयोजन करेगा,

(चार) छात्रों के लिए परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन करेगा,

(पाँच) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए स्कूल/संकाय स्तर पर पदस्थापना में सहायता प्रदान करने हेतु आयोजन करेगा,

(छ) पूर्व छात्र संगम के क्रियाकलापों का आयोजन करेगा,

(सात) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा,

(आठ) विश्वविद्यालय की केन्द्रीय अनुशासन समिति का सदस्य सचिव होगा,

(नौ) विश्वविद्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करेगा,

(दस) छात्रों को छात्रवृत्ति, अध्ययेतावृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता के संवितरण का पर्यवेक्षण करेगा,

(ग्यारह) छात्रों के लिए यात्रा की व्यवस्था करेगा, और

(बारह) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसे कुलपति द्वारा सौंपे जाए।

(ख) मानव संसाधन अधिकारी :

(1) मानव संसाधन अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। मानव संसाधन अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिनियम 23 के खण्ड (8) में विहित है।

(2) मानव संसाधन अधिकारी–

(एक) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा अभिलेखों सहित वर्गीकृत पंजी का रख–रखाव करेगा,
(दो) विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी करेगा और सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया का आयोजन करेगा,
(तीन) विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों की छंटनी और चयन समिति की बैठकों का आयोजन करेगा,
(चार) चयन समिति की संस्तुतियों को कुलपति/कार्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा, और नियुक्ति पत्र जारी करेगा,
(पाँच) विश्वविद्यालय से संबंधित कर्मचारियों को नियंत्रित करेगा,
(छः) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा, और
(सात) कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य मामलों का व्यवहरण करेगा।

(ग) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष :

(1) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी परिनियम 23 के खण्ड(8) में विहित है।

(2) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष–

(एक) विश्वविद्यालय पुस्तकालय का रख–रखाव करेगा,
(दो) संकाय और छात्रों के लिए पुस्तकालय की सेवाओं का आयोजन करेगा,
(तीन) विश्वविद्यालय पुस्तकालय का बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, और
(चार) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि कुलपति द्वारा निर्देशित किया जाए।

10–विश्वविद्यालय के प्राधिकारी (धारा 17)–

सभा, कार्य परिषद् और शैक्षिक (विद्वत) परिषद्, स्कूल संकाय परिषद् के अतिरिक्त प्रत्येक अध्ययन केन्द्र विश्वविद्यालय के प्राधिकारी भी गठित करेंगे।

11– सभा : कृत्य एवं शक्तियां (धारा 18)–

(1) सभा का सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्यता धारण करेगा :

परन्तु, यह कि पदेन सदस्य सभा की सदस्यता उसकी अधिवर्षता पर या उसके कार्यकाल की समाप्ति पर, जिसके लिए वह सभा का सदस्य बना है, सदस्य नहीं रह जाएगा,

(2) कुलाधिपति की अध्यक्षता में कार्य परिषद् द्वारा वर्ष में एक बार नियत तिथि को सभा की बैठक होगी। सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व बैठक में उपस्थित होने की सूचना प्रेषित की जाएगी और दस सदस्य गणपूर्ति करेंगे,

(3) सभा कार्य परिषद् की कार्यवाही, विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती वर्ष की उपलब्धि तथा विश्वविद्यालय की भविष्य की योजनाओं पर विचार करेगी,

(4) सभा, विश्वविद्यालय के सम्प्रेक्षित तुलन–पत्र और अपेक्षित आय–व्ययक पर विचार करेगी,

(5) सभा, सभा के सदस्यों में से किसी रिक्ति को भर सकेगी,

(6) यदि किसी मामले में राय भिन्न हो तो बहुमत की राय अभिभावी होगी।

(7) विश्वविद्यालय का कुलसचिव सभा का सचिव होगा।

12– कार्य परिषद् : कृत्य एवं शक्तियां (धारा 19)–

(1) कार्य परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा :

परन्तु, यह कि पदेन सदस्य की सदस्यता अधिवर्षता या पद से त्याग पत्र देने पर, जिससे वह परिषद् का सदस्य बना है, से समाप्त हो जाएगी।

(2) कार्य परिषद् के एक तिहाई सदस्य यथाशक्य प्रतिवर्ष सेवा निवृत्त होंगे।

(3) विश्वविद्यालय का कुलसचिव कार्य परिषद् का गैरसदस्यीय सचिव होगा।

(4) स्कूल के दो संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) कार्य परिषद् में नामित होंगे, जिनमें से एक विज्ञान और तकनीकी का दूसरा मानविकी और अन्य अध्ययन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेगा।

(5) विश्वविद्यालय का वरिष्ठतम प्राध्यापक कार्य परिषद् का सदस्य होगा, परन्तु यह कि उसकी अवधि समाप्त होने पर दूसरा वरिष्ठतम प्राध्यापक परिषद् में नामित होगा। कोई प्राध्यापक दो लगातार अवधि के लिए कार्य परिषद् का सदस्य नहीं हो सकेगा।

(6) कार्य परिषद्–

(एक) संकाय स्तर के पदों के संबंध में यथा नियमित संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता), प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के लिए गठित चयन समिति की संस्तुति पर नियुक्तियों का अनुमोदन करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी होगी। परिषद् विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्तियां जिनका वेतनमान का अधिकतम रु0 13500/– है, के खुले चयन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित पदों पर नियुक्ति का अनुमोदन भी करेगी। संविदा संकाय के मामले में कुलपति द्वारा की गई नियुक्तियों के बारे में कार्य परिषद् को सूचित किया जायेगा।

(दो) राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रशासनिक और लिपिकीय पदों का सृजन करेगी, और

(तीन) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का विनियमन और अनुश्रवण करेगी।

(7) कार्य परिषद् राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय की ओर से जंगम सम्पत्ति के अन्तरण के लिए अधिकृत कर सकती है।

(8) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की ओर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार देश या विदेश में किसी संस्था के साथ की गई किसी संविदा या करार को निरस्त, उपान्तरित या निर्णीत कर सकती है।

(9) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की सामान्य मोहर का चयन/अनुमोदन करेगी।

(10) कार्य परिषद् की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित सदस्यों की एक–तिहाई होगी।

13–वित्त समिति (धारा 22)–

(1) वित्त समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी:–

(एक) कुलपति	– अध्यक्ष
(दो) उच्च शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव अथवा उसका नाम निर्देशिती	– सदस्य
(तीन) वित्त विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव अथवा उसका नाम निर्देशिती	– सदस्य
(चार) कुलपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट कार्य परिषद् के दो सदस्य	– सदस्य
(पाँच) विश्वविद्यालय वित्त अधिकारी	– सदस्य

(2) वित्त समिति, कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों के प्रशासन से संबद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय और साधनों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और विशेष कारणों से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकती है और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद् पर आबद्धकर होगी।

(3) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायं।

(4) जब कि वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्य परिषद् उस पर कोई विनिश्चय नहीं करेगी और यदि कार्य परिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वह निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपनी असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्य परिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) वित्त समिति की बैठक में गणपूर्ति समिति के तीन सदस्यों द्वारा होगी।

14–शैक्षिक (विद्वत) परिषद : कृत्य एवं शक्तियां (धारा 20)–

(1) शैक्षिक (विद्वत) परिषद निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी :–

(एक) कुलपति जो शैक्षिक (विद्वत) परिषद का अध्यक्ष होगा,
(दो) संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) स्कूल,
(तीन) प्रभाग का सभापति,
(चार) अध्ययनकेन्द्रों के सभापति,
(पाँच) प्रत्येक स्कूल से वरिष्ठता के आधार पर चक्रीय क्रम में प्रति वर्ग से एक प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक–प्राध्यापक मनोनीत सदस्य, और
(छः) विश्वविद्यालय में प्रत्येक स्कूल संकाय परिषद के सचिव,

(2) शैक्षिक (विद्वत परिषद) के पदेन सदस्य निम्नलिखित होंगे:–

(एक) वित्त अधिकारी,
(दो) अधिष्ठाता छात्र कल्याण,
(तीन) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष,
(चार) मानव संसाधन अधिकारी, और
(छः) विहित अवधि के लिए कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का अन्य कोई अधिकारी।

(3) कुलसचिव शैक्षिक (विद्वत) परिषद का सचिव होगा।

(4) कुलपति की सस्तुति पर शैक्षिक (विद्वत) परिषद् में प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय में नियुक्त न हों, विश्वविद्यालय की समृद्धि के लिए सहयोजित कर सकेंगे, तथापि विश्वविद्यालय में ऐसे विशेषज्ञों की संख्या विद्यमान स्कूलों की संख्या से अधिक नहीं होगी। ऐसे सदस्यों को शैक्षिक (विद्वत) परिषद में मत देने का अधिकार नहीं होगा और उनके पद की शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कुलपति द्वारा विहित की जाए।

(5) शैक्षिक (विद्वत) परिषद, शैक्षिक सत्र में न्यूनतम चार बैठकें उसके कार्य–संव्यवहार के लिए आयोजित करेगी।

(6) कुलपति द्वारा कभी भी शैक्षिक (विद्वत) परिषद की विशेष बैठक का आयोजन किया जा सकेगा या परिषद के एक तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर 10 दिन पूर्व सूचना पर बैठक की जा सकेगी।

(7) शैक्षिक (विद्वत) परिषद, विशिष्ट मामलों में, अपेक्षित कार्यवाही किए जाने के लिए संस्तुतियां प्रदान किए जाने हेतु, अल्पकालिक और सशक्त समितियों का गठन कर सकती है। ऐसी समितियों की संस्तुतियां अनुमोदन और उसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कुलपति को अग्रसारित की जाएगी। संस्तुतियां शैक्षिक (विद्वत) परिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन के लिए भी रखी जाएगी।

(8) शैक्षिक (विद्वत) परिषद:

(क) विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की अपेक्षानुसार प्रवेश और पाठ्यक्रम,
(ख) प्रवेश परीक्षाओं और मंत्रणा का आयोजन,
(ग) शिक्षा नीति,
(घ) विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों और वाह्य संस्थाओं/संगठनों के मध्य कार्यक्रमों में सहयोग,
(ङ) शैक्षिक और शोध कार्यक्रमों के संबंध में स्कूलों या अध्ययन केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण,
(च) विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों को संस्थित किए जाने के लिए पाठ्यक्रम कार्यक्रम और पाठ्यविवरण तैयार करना,
(छ) छात्रवृत्तियों, अध्येता वृत्तियों, पुरस्कारों, पदकों आदि को संस्थित करना,
(ज) उपाधि और मानद उपाधि को प्रदान करना और दीक्षान्त समारोह का आयोजन,
(झ) विश्वविद्यालय के छात्रों से शुल्क लेना,
(ञ) प्रश्नपत्रों के निर्धारकों, अनुसीमकों और अन्य लोगों को संदाय किये जाने वाला मानदेय और परीक्षाओं का सामान्य संचालन/मंत्रणा तथा अन्य ऐसे विषयों के लिए ली गई सेवाओं का भुगतान,
(ट) विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षिक स्तरों में अपेक्षित नियुक्तियों और पदोन्नतियों की अर्हताएं, एवं

(उ) स्कूलों की स्थापना/बन्द करना, सविलीन या पुनर्संविलीन केन्द्रों आदि में विभाजित करना और छात्रों और संकायों से सम्बंधित किसी अन्य मामलों में और शैक्षिक हितों के अन्य मामलों में निर्णय ले सकती है।

(9) शैक्षिक (विद्वत) परिषद विभिन्न उपाधियों और डिप्लोमा के लिए अभ्यर्थियों का अनुमोदन करेगी और दीक्षान्त समारोह में मानद उपाधियों के लिए अभ्यर्थियों की संस्तुति कार्य परिषद को करेगी।

(10) यदि शैक्षिक परिषद का यह समाधान हो जाए कि ऐसे निर्णय को प्रभावी करने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान हैं तो शैक्षिक (विद्वत) परिषद किसी व्यक्ति को संस्थित की गई कोई डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र, पुरस्कार, मानद या विशिष्टताएं प्रत्याहरित करने का निर्णय ले सकती है।

(11) शैक्षिक (विद्वत) परिषद पाठ्यक्रम और पाठ्येत्तर समिति, केन्द्रीय अनुशासन समिति, शैक्षिक नीति समिति और पुस्तकालय परामर्श समिति के लिए एक शैक्षिक वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न समितियां गठित करेगी। शैक्षिक (विद्वत) परिषद पाठ्यक्रम एवं पाठ्येत्तर समिति, केन्द्रीय अनुशासन समिति और शिक्षा नीति समिति का अध्यक्ष भी चुनेगी।

(क) पाठ्यक्रम एवं पाठ्येत्तर समिति

(12) इस समिति की राय/आमत के लिए परिषद द्वारा संदर्भित मामलों में पाठ्यक्रम एवं पाठ्येत्तर समिति अपनी संस्तुतियां शैक्षिक (विद्वत) परिषद को उपलब्ध करायेगी।

(ख) केन्द्रीय अनुशासन समिति

(13) इस समिति के सदस्य विश्वविद्यालय के प्रत्येक स्कूल से प्राध्यापक के पद की श्रेणी से [illegible] शैक्षिक (विद्वत) परिषद से [illegible] छात्र कल्याण समिति के सचिव [illegible]

(ग) शैक्षिक नीति समिति

(14) इस समिति को सदस्य [illegible] विश्वविद्यालय के प्रत्येक स्कूल से वरिष्ठ संकाय सदस्य [illegible] शैक्षिक (विद्वत) [illegible] समिति शैक्षिक (विद्वत) परिषद द्वारा उसे संदर्भित मामलों में अपनी संस्तुति उपलब्ध करायेगी।

(घ) पुस्तकालय परामर्शी समिति

(15) यह समिति स्कूलों के संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता), वित्त अधिकारी, कुलसचिव [illegible] अधिकारी और शैक्षिक (विद्वत) परिषद द्वारा प्रत्येक [illegible] प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया एक सदस्य मिलकर गठित [illegible] अध्यक्ष और विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष समिति का सचिव होगा।

15 स्कूल संकाय परिषद : कृत्य एवं शक्तियां (धारा 17 एवं 21)–

(1) [illegible] स्कूल की [illegible] और विकास से सम्बन्धित मामलों में निर्णय [illegible] स्कूल [illegible] संकाय समिति समय समय पर स्कूल के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन [illegible] शैक्षणिक [illegible] प्रभावी [illegible] करने के लिए निर्णय ले सकेगी।

(2) स्कूल की स्कूल संकाय समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात

(एक) संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) स्कूल,
(दो) स्कूल के अध्ययन केन्द्र/केन्द्र प्रभागों के अध्यक्ष,
(तीन) समस्त नियमित संकाय सदस्य,
(चार) समस्त दीर्घकालिक परिदर्शक संकाय सदस्य,
(पांच) प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय के अन्य स्कूलों से शैक्षिक (विद्वत) परिषद द्वारा निर्वाचित तीन सदस्य।

(3) स्कूल संकाय परिषद एक या दो छात्रों को जब कभी आवश्यकता हो की राय से तथ्यों को प्रकाश में लाने के लिए आमंत्रित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

(4) स्कूल संकाय परिषद की एक शिक्षा सत्र में न्यूनतम चार बैठकें होंगी।

(5) सम्बन्धित स्कूल का सकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) स्कूल सकाय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। सकाय के एक सदस्य को परिषद का एक वर्ष के लिए सचिव के रूप में चुना जाएगा।

(6) स्कूल सकाय परिषद सभी शैक्षिक मामलों, जिनमें स्कूल के संगठनात्मक स्वरूप, विभिन्न छात्रों के कार्यक्रम, प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की अर्हता, अपेक्षित सकाय के अध्ययन केन्द्र/प्रभागों और उनकी अर्हता, अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय/संगठन, शोध स्कूलों की पहचान और शोध का पुनर्विलोकन और निर्माण सक्रियाओं का विस्तार और मामलों में विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण के द्वारा इसकी राय के लिए स्कूल सकाय परिषद को संदर्भित करेगी।

(7) स्कूल सकाय परिषद रिपोर्ट तैयार करने, विशिष्ट मामलों में संस्तुति देने अथवा अन्य किन्हीं विषयों के लिए इसकी समितियां नियुक्त कर सकेगी।

16 स्कूल–

(1) विश्वविद्यालय

(क) पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन स्कूल,
(ख) जनसंचार स्कूल,
(ग) सामाजिक विज्ञान स्कूल
(घ) प्रबंधन स्कूल,
(ङ) भौतिक विज्ञान स्कूल,
(च) जीव विज्ञान स्कूल
(छ) तकनीकी स्कूल
(ज) डिजाइन स्कूल
(झ) भाषा स्कूल एवं
(ञ) [illegible] कोई स्कूल जिसे वह स्थापित करने का विनिश्चय करे [illegible] कर सकता है

(2) कार्य परिषद, शैक्षिक (विद्या) परिषद की संस्तुति से विश्वविद्यालय के किसी स्कूल को स्थापित, बन्द [illegible] पुनर्विलोकन या पुनर्गठित जैसा आवश्यक समझे कर सकेगी।

(3) स्कूल के [illegible] ऐसा होगा, जैसा शैक्षिक (विद्या) परिषद [illegible] और कार्य परिषद [illegible] अनुमोदित किया जाय।

(4) [illegible] स्कूल शैक्षिक (विद्या) परिषद को सूचित करके उसके प्रभावी [illegible] समय सारणी समिति और [illegible] कर सकेगी। समय सारणी समिति स्कूल द्वारा चलाए जा रहे [illegible] के लिए वर्षवार मुख्य समय सारणी तैयार करेगी।

(क) सकाय विकास समिति कृत्य

(1) प्रत्येक स्कूल सम्बन्धित स्कूल के सकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) और [illegible] की श्रेणी को वरीयता [illegible] [illegible] सकाय [illegible] समिति गठित करेगा। समिति के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे

(क) नियमित/दीर्घकालिक प्रस्ताव [illegible] सकाय के अभ्यर्थियों के चयन के लिए [illegible]
(ख) [illegible] स्तर पर अगली नियमित [illegible] के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी
(ग) [illegible] प्राप्त, अल्पकालिक अभ्यागत और सहायक सकाय का चयन
(घ) [illegible]/दीर्घकालिक अभ्यागत सकाय के कार्य और स्कूल की वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा और
(ङ) [illegible] शोध प्रस्ताव/परियोजना बाह्य वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत करना।

(ख) सकाय चयन समिति कृत्य

(1) [illegible] समिति सम्बन्धित स्कूल की सकाय विकास समिति के सदस्य [illegible] इसके अतिरिक्त [illegible] विशेषज्ञ [illegible] जैसा इस परिनियमावली के परिनियम 23 के भाग (क) में विहित है, निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी

(क) [illegible]
(ख) नियमित सकाय का उन्नयन
(ग) [illegible] उत्तरवर्ती पदोन्नति हेतु [illegible] पुनर्विलोकन और
(घ) नियमित सकाय का पंचवर्षीय कार्य पुनर्विलोकन।

17 अध्ययन केन्द्रों का संगठनात्मक स्वरूप [धारा 22 (च)]–

प्रत्येक स्कूल कार्य परिषद द्वारा क्रियात्मक तथा [illegible] रूप से प्रभागों/अध्ययन केन्द्रों में संगठित किया जा सकता है जो शैक्षिक क्रियाकलापों और प्रशासन की प्राथमिक इकाई के रूप में कार्य करेंगे।

18- अध्ययन केन्द्र [धारा 22 (च)] -

(1) शैक्षिक (विद्वत) परिषद शिक्षा और शोध की प्रगति के लिए स्कूलों में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना कर सकती है।

(2) विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्रों में विशिष्ट क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र इकाई के रूप में जब कभी आवश्यक हो, स्थापित कर सकेगा।

(3) प्रारम्भ में विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र निम्नलिखित होंगे –

(क) लोकनीति के लिए केन्द्र (सामाजिक विज्ञान स्कूल),
(ख) पारिस्थितिकी अध्ययन के लिए केन्द्र (पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन स्कूल),
(ग) जैव प्रौद्योगिकी के लिए केन्द्र (जीव विज्ञान स्कूल),
(घ) सूचना तकनीकी के लिए केन्द्र (तकनीकी स्कूल)।

19- प्रभाग का अध्यक्ष [धारा 22 (च)]–

(1) प्रभाग के अध्यक्ष सामान्यतः प्राध्यापक स्तर का होगा और शिक्षण, संस्था, शोध और प्रभाग में अन्य शैक्षिक क्रियाकलापों के प्रति उत्तरदायी होगा

परन्तु यह कि यदि प्रभाग में कोई प्राध्यापक उपलब्ध न हो, नियमित अध्यक्ष के चयन होने तक प्रभाग के दायित्वों को वरिष्ठ संकाय सदस्य को सौंपा जा सकता है।

(2) प्रभाग के अध्यक्ष कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए इस निमित्त गठित चयन समिति की संस्तुति पर नियुक्त किया जाएगा। तीन वर्ष के दूसरे कार्यकाल का विस्तार कुलपति द्वारा किया जा सकता है।

(3) प्रभाग का अध्यक्ष स्कूल के संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) के प्रति उत्तरदायी होगा और वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसे संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) द्वारा सौंपे जाए।

20- अध्ययन केन्द्र का अध्यक्ष [धारा 22 (च)]

(1) स्कूल में प्रत्येक अध्ययन केन्द्र का एक अध्यक्ष होगा जो शिक्षण और शोध कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा केन्द्र से संबंधित समस्त शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होगा। जब तक केन्द्र में प्राध्यापक न हो, केन्द्र का वरिष्ठ संकाय सदस्य तब तक अध्यक्ष के उत्तरदायित्व चयनित अध्यक्ष की तरह कर सकेगा।

(2) अध्यक्ष सामान्यतया तीन वर्ष की अवधि के लिए इस निमित्त गठित चयन समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। विशेष परिस्थितियों में तीन वर्ष के दूसरे कार्यकाल का विस्तार कुलपति द्वारा किया जा सकता है।

(3) केन्द्र के अध्यक्ष स्कूल के संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) के प्रति उत्तरदायी होगा और वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) द्वारा सौंपे जाए।

21- शिक्षकों का वर्गीकरण (धारा 20)

(1) विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति वर्गीकृत रूप में नियमित, संविदा के पद पर, मान्यता प्राप्त से हो सकती। कार्य परिषद जब आवश्यकतानुसार वर्गीकरण में कुछ भी हो रूपान्तरित कर सकती।

(2) कार्यपरिषद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और किसी उपयुक्त श्रेणी के शिक्षक की नियुक्तियां कर सकेगी। नियुक्त शिक्षक विश्वविद्यालय के वेतनभोगी कर्मचारी होंगे।

(3) अवैतनिक/अभ्यागत प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अभ्यागत विद्वान या प्रतिष्ठित प्राध्यापक शिक्षक भी नियुक्त होंगे।

(4) कुलपति संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) की संस्तुति पर प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक या संविदा पर कोई अन्य पदनाम से शिक्षक नियुक्त कर सकता है। स्कूल में प्रथम नियुक्ति की दशा में कुलपति संविदा

पर शिक्षक/शिक्षकों, परामर्शी/परामर्शियों की नियुक्ति के लिए खोज और चयन समिति का गठन कर सकता है। देश से बाहर के उच्च विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति में संविदा पर नियुक्त करने के लिए विचार किया जा सकता है, ऐसी नियुक्तियों के संबंध में कार्य परिषद को सूचित किया जायेगा।

(5) विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त शिक्षक विश्वविद्यालय के बाहर मान्यता प्राप्त संस्था के स्टाफ सदस्य होंगे। ऐसे शिक्षक विश्वविद्यालय की शैक्षिक (विद्वत) परिषद द्वारा अनुमोदित शैक्षिक पाठ्यक्रमों और शोध के कार्य में मार्गदर्शन हेतु नियुक्त किए जा सकते हैं, ऐसे शिक्षकों की मान्यता तब तक बनी रहेगी जब तक वे संबंधित मान्यता प्राप्त संस्था के कर्मचारी हैं।

(6) कार्यपरिषद कुलपति या शैक्षिक (विद्वत) परिषद के सन्दर्भित किए जाने पर शिक्षक से मान्यता वापस ले सकती है।

(7) शिक्षकों की नियुक्ति के नियम इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति की संस्तुति पर होगी जैसा कि परिनियमावली के परिनियम 23 के खण्ड (5) में प्राविधानित है।

22–कर्मचारियों की श्रेणियां (धारा 22)

(1) विश्वविद्यालय में कर्मचारियों/कार्मिकों की निम्नलिखित श्रेणियां हो सकती हैं

(क) शैक्षिक कर्मचारी संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता), केन्द्र/[illegible] के अध्यक्ष, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, [illegible] प्राध्यापक, अभ्यागत प्राध्यापक, अभ्यागत विद्वान, [illegible] प्राध्यापक, [illegible] प्राध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और अन्य कोई व्यक्ति जिसे विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक कर्मचारी के रूप में पदाभिहित किया जाए।

(ख) [illegible] कर्मचारी प्रोग्रामर, पुस्तकालय [illegible], पुस्तकालय सहायक, चालक, [illegible] संचालक, कम्प्यूटर संचालक, खेल अनुदेशक/ प्रशिक्षक, फार्मासिस्ट [illegible] और कोई अन्य व्यक्ति जिसे विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी कर्मचारी के रूप में पदाभिहित किया जाए।

(ग) प्रशासनिक और सहयोगी कर्मचारी कुलसचिव, वित्त अधिकारी, मानव संसाधन अधिकारी, [illegible] और [illegible] अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, [illegible] अधिकारी, कुलपति के निजी [illegible] सहायक, आशुलिपिक, कार्यालय सहायक, [illegible] कर्मचारी, परिचर, रक्षक और कोई अन्य व्यक्ति जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक [illegible] के रूप में [illegible] किया जाए।

23–नियुक्तियां (धारा 16 एवं धारा 22)

(1) विश्वविद्यालय में समस्त नियुक्तियां मान्यता के आधार पर की जाएगी जैसा कि विद्वत परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा [illegible] हो, संकाय के वरिष्ठ पदों की स्थिति में नियुक्तियां विशेष रूप से शिक्षण, शोध [illegible] और व्यावसायिक [illegible] विकास के लिए [illegible] के आधार पर होगी।

(2) अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार दिया जायेगा।

(3) [illegible] शिक्षकों की समस्त नियुक्तियां, इन परिनियमों के प्रावधानों के अधीन, सुलभ देश के तीन [illegible] समाचार पत्रों में विज्ञापित कर की जायेगी। शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियानुसार की जायेगी।

(4) [illegible] नियुक्तियों के सम्बन्ध में कार्य परिषद की संस्तुति की जायेगी। [illegible] नियुक्तियों और मान्यता प्राप्त शिक्षकों के [illegible] कोई समिति का चयन समिति की संस्तुतियां अवधारित करने के लिए प्रारूप विहित किया [illegible] विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त शिक्षक के रूप में उच्च शैक्षिक स्तर के व्यक्ति को जिसका शिक्षण और शोध [illegible] वैज्ञानिक [illegible] आमंत्रित किए बिना नियुक्त कर सकता है, मान्यता प्राप्त शिक्षक की नियुक्ति के लिए शर्तें और निबन्धन विहित किए जाएंगे।

(क) शिक्षकों के चयन के लिए समिति -

(5) कुलपति निम्नलिखित शैक्षिक कर्मचारियों का चयन करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष होगा, परन्तु यदि वह किसी कारण चयन समिति की बैठक में उपस्थित रहने में असमर्थ रहता है, तो यह कि वह सम्बद्ध स्कूल के संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) को यह प्राधिकार प्रतिनिधायन कर सकता है। संकाय चयन समिति सम्बंधित स्कूल में शिक्षकों के चयन हेतु अपनी संस्तुति देगी

(क) संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता)–

(एक) विश्वविद्यालय में कुलपति द्वारा नामित स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता)

(दो) कुलपति द्वारा नामित सम्बन्धित शाखा/विषय के दो विशेषज्ञ

परन्तु किसी भी कारणवश संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) की नियमित नियुक्ति न हो पाने तक कुलपति शाखा/विषय से सम्बन्धित वरिष्ठतम अध्यक्ष को अधिकतम एक वर्ष के लिए नियुक्त कर सकेगा

(ख) अध्ययन केन्द्र/प्रभाग के अध्यक्ष -

(एक) सम्बद्ध स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता),

(दो) कुलपति द्वारा नामित सम्बद्ध स्कूल के दो वरिष्ठतम आचार्य

परन्तु यदि वरिष्ठ आचार्य उपलब्ध न हो तो शाखा/विषय के दो बाह्य विशेषज्ञ

परन्तु यह भी कि किसी भी कारणवश अध्यक्ष की नियमित नियुक्ति न हो पाने तक कुलपति सम्बद्ध अध्ययन केन्द्र/प्रभाग के वरिष्ठ आचार्य को अधिकतम एक वर्ष के लिए प्रभारी नियुक्त कर सकेंगे।

(ग) प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक और सहायक–प्राध्यापक–

(एक) सम्बद्ध स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता)

(दो) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट जो अन्य स्कूल के संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) होंगे

(तीन) संकाय विकास समिति का एक सदस्य,

(चार) कुलपति से परामर्श के पश्चात स्कूल में शाखा/विषय के लिए अध्ययन केन्द्र/प्रभाग से कुलाधिपति द्वारा नामित पांच विशेषज्ञों के पैनल में से दो बाह्य विशेषज्ञ

(पांच) अध्ययन केन्द्र/प्रभाग से सम्बद्ध अध्यक्ष–

(एक) सम्बद्ध स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता),

(दो) कुलपति द्वारा नामित सम्बद्ध स्कूल के दो वरिष्ठतम आचार्य

परन्तु यदि वरिष्ठ आचार्य उपलब्ध न हो तो शाखा/विषय के दो बाह्य विशेषज्ञ

परन्तु यह भी कि किसी भी कारणवश अध्यक्ष की नियमित नियुक्ति न हो पाने तक कुलपति सम्बद्ध अध्ययन केन्द्र/प्रभाग के वरिष्ठ आचार्य को अधिकतम एक वर्ष के लिए प्रभारी नियुक्त कर सकेगा।

(6) उपर्युक्त के पदाभिहित व्यक्तियों की नियुक्तियां धारा 23 की उपधारा (5) में गठित चयन समिति के विचाराधीन पदों के लिए नये या विभिन्न पदों सहित की जाएगी।

(7) उपर्युक्त परिनियम (5) में उल्लिखित चयन समिति/समितियां भारत से बाहर के अभ्यर्थी के मामले में उसके जीवन वृत्त तथा उसकी शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर उसकी अनुपस्थिति में विचार कर सकती है

(ख) अधिकारियों की नियुक्ति

(8) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्तियां निम्नवत होगी

(क) कुलसचिव–

कुलसचिव की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त कम से कम तीन नामों के पैनल में से प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर अधिकतम पांच वर्ष के लिए की जायेगी

कार्य परिषद कुलसचिव के चयन हेतु उक्त पैनल में से कुलपति की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन कर नियुक्ति कर सकेगी।

परन्तु यह कि किसी कारणवश कुलसचिव की नियुक्ति न हो पाने की दशा में कार्य परिषद द्वारा अधिकतम एक वर्ष के लिए विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों में से प्रभारी कुलसचिव नियुक्त किया जा सकता है।

(ख) वित्त अधिकारी–

विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विहित प्राविधानों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(ग) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष

विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए चयन समिति का गठन कुलपति जो समिति के अध्यक्ष होगा, पुस्तकालय विज्ञान/प्रबंधन क्षेत्र का एक बाह्य विशेषज्ञ, विश्वविद्यालय के दो स्कूलों के संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) और यदि कुलसचिव संकाय का सदस्य है, से किया जाएगा।

(घ) अधिष्ठाता छात्र कल्याण

अधिष्ठाता छात्र कल्याण की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षिक और शोध गतिविधियों और नियमित सेवा तथा मौलिक पद पर धारणाधिकार रखने वाले प्राध्यापकों में से की जाएगी,

(ङ) अन्य अधिकारी जिसमें निम्न सम्मिलित हैं कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के संकाय में से नियुक्त किए जा सकेंगे –

(एक) मानव संसाधन अधिकारी मानव संसाधन अधिकारी की नियुक्ति कुलपति [illegible] वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर की जायेगी।

कुलपति इस हेतु एक वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, कुलसचिव तथा राज्य सरकार द्वारा नामित एक सदस्य की समिति गठित कर नियुक्ति करेंगे

परन्तु यह कि किसी कारणवश, मानव संसाधन अधिकारी की नियमित नियुक्ति [illegible] दशा में कुलपति अधिकतम [illegible] के लिए विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में से नियुक्त कर सकते हैं।

(दो) प्रशासनिक निदेशक प्रशासनिक निदेशक की नियुक्ति कुलपति द्वारा अधिकतम [illegible] वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर की जायेगी।

कुलपति इस हेतु वरिष्ठ संकायाध्यक्ष कुलसचिव तथा राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य की समिति [illegible] कर नियुक्त कर सकता है :

परन्तु यह कि किसी कारणवश प्रशासनिक निदेशक की नियमित नियुक्ति [illegible] की दशा में अधिकतम एक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में से नियुक्त कर सकते हैं।

(तीन) भण्डार और क्रय अधिकारी भण्डार और क्रय अधिकारी की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षिक व शोध गतिविधियों और नियमित सेवा तथा मौलिक पद पर धारणाधिकार रखने वाले शैक्षिक कर्मचारियों में से की जाएगी। भण्डार और क्रय अधिकारी विश्वविद्यालय की विभिन्न शाखाओं में अपेक्षित सामग्री के क्रय और भण्डार [illegible] के अभिलेखों के रख रखाव तथा विश्वविद्यालय के भण्डार के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय में संकायों और प्रशासनिक शाखाओं में उनके द्वारा अपेक्षित खरीदारी में सहयोग करेगा।

(चार) विश्वविद्यालय का चिकित्सा अधिकारी विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति [illegible] चिकित्सा अधिकारी, कुलसचिव और कुलपति की अध्यक्षता वाली [illegible] सदस्यीय चयन समिति द्वारा की जाएगी। चिकित्सा अधिकारी विश्वविद्यालय के संकायों और अन्य कर्मचारियों तथा छात्रों को चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा। वह इसके अतिरिक्त कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(पांच) निर्माण कार्य और संयंत्र निदेशक निर्माण कार्य और संयंत्र निदेशक की नियुक्ति कुलपति [illegible] वर्ष [illegible] प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जायेगी

[illegible] एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर एक बार किया जा सकता है। वह [illegible] और भवन रख रखाव तथा कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य [illegible] कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।

[illegible] अन्य अधिकारी जो विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति हेतु अभिनिश्चित किए जाएं

[illegible] सदस्य को [illegible] से अतिरिक्त कार्य सौंपे जाएं तो उसे ऐसा कार्यभार [illegible] के लिए [illegible] उपलब्ध [illegible] उन दायित्वों का निर्वहन करता है की सुविधाओं के अतिरिक्त ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा जो उचित समझा जाए।

(ग) अभ्यागत संकाय

(9) कुलपति कार्य परिषद् को सूचित करके अभ्यागत संकाय या अभ्यागत प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रूप में विश्वविद्यालय में उच्च शैक्षणिक कार्य और शोध की प्रगति में सहायता देने के लिए देश या विदेश से अध्ययन के क्षेत्र में उच्च शैक्षणिक एवं विशेष योग्यता से युक्त व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है। दीर्घावधि के लिए अभ्यागत संकाय एक से दो वर्ष के लिए नियुक्ति की जा सकती है, अल्पकालिक अभ्यागत संकाय एक वर्ष की अवधि तक के लिए नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्त व्यक्ति नियमित कक्षा, कक्षाएं पढ़ाना, विशेष व्याख्यानों का आयोजन और कार्यशाला तथा सेमिनार का संचालन करेगा। उसके वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता और अन्य शर्तें और निबंधन ऐसे होंगे जैसे नियुक्त व्यक्ति तथा विश्वविद्यालय के मध्य आपसी सहमति से अभिनिश्चित हों।

(घ) चेयर प्राध्यापक—

(10) विश्वविद्यालय अपने अध्ययन केन्द्र में प्रख्यात लोगों [illegible] व्यक्तियों द्वारा प्रायोजित विभिन्न पीठ/चेयर स्थापित कर सकता है और समुचित रूप से अर्ह व्यक्तियों को इन पदों पर नियुक्त कर सकती है। ऐसी नियुक्ति को शासित करने वाले शर्तें और निबंधन और वित्तीय तथा प्रशासनिक [illegible] विहित किए जाएंगे।

(ङ) अभ्यागत विद्वान -

(11) कोई व्यक्ति जिसका विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र में ज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान हो उसकी सूचना कार्य परिषद् को देकर कुलपति अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अभ्यागत विद्वान के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। अभ्यागत विद्वान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, व्याख्यान देने, कार्यशाला और सेमीनारों के आयोजन और शिक्षण तथा शोध कार्यक्रमों का विकास करेगा। विद्वान को पारिश्रमिक संदाय किया जाएगा और विश्वविद्यालय तथा विद्वान के मध्य समझौते के आधार पर आतिथ्य उपलब्ध कराया जाएगा।

(च) मानद प्राध्यापक

(12) कार्य परिषद् और संबंधित स्कूल के संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) की संस्तुति पर कुलपति कार्य परिषद् को सूचित करके प्रख्यात विद्वान को जिसका अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हो स्कूल में अध्यापन के लिए मानद प्राध्यापक के रूप में नियुक्त कर सकता है। मानद प्राध्यापक की नियुक्ति की अवधि विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित की जाएगी। मानद प्राध्यापक को संबंधित स्कूल द्वारा उसके कार्यों के निर्वहन के लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मानद प्राध्यापक को कार्यों के लिए निर्वहन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी लेकिन कोई वेतन नहीं दिया जाएगा।

(छ) प्रतिष्ठित प्राध्यापक

(13) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षक को प्रतिष्ठित प्राध्यापक की उपाधि प्रदान कर सकती है जिसने विश्वविद्यालय में अपनी कार्यावधि के दौरान अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। संबंधित स्कूल संकाय परिषद् (शैक्षिक विद्वत्) परिषद् और कुलपति इसके लिए कार्य परिषद् को संस्तुति कर सकती है। प्रतिष्ठित प्राध्यापक को उसके शैक्षिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित स्कूल द्वारा समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, अर्थात् विश्वविद्यालय की ओर से बिना वित्तीय या अन्य दायित्वों के आधार पर होंगे।

(ज) एडजंक्ट नियुक्तियां -

(14) कुलपति कार्य परिषद् को सूचित करके उद्योग तथा अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को एडजंक्ट प्राध्यापक या एडजंक्ट सहायक प्राध्यापक या अन्य पद पर पदाभिहित कर जैसा वह उचित समझे दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त व्यक्ति और विश्वविद्यालय के मध्य समझौते से शर्तों एवं निबंधन पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है।

(झ) संविदा नियुक्तियां

(15) कुलपति विशेष परिस्थितियों के अधीन अध्ययन केन्द्र को अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर व्यक्ति को भाड़े पर लेने की अनुज्ञा दे सकता है। ऐसे भाड़े पर लिए गए व्यक्ति को शिक्षण एवं शोध के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जो समुचित समझा जाए पद पर पदाभिहित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय ऐसी नियुक्तियों के बारे में कार्य परिषद् को अवगत करायेगा।

(ञ) अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां

(16) अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति जो अधिनियम और इन परिनियमों से आच्छादित नहीं हैं, कुलपति द्वारा कार्य परिषद् के अनुमोदन से की जाएगी सिवाय शिक्षणेत्तर पदों के जिनका वेतनमान का अधिकतम रु0 13500– है (समय समय पर यथा संशोधित) कुलपति द्वारा कार्य परिषद् को संदर्भित किए बिना की जा सकेगी।

24–सेवा की शर्तें और निबन्धन (धारा 22)–

(1) विश्वविद्यालय में समस्त नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। तद्नुपरान्त नियुक्त व्यक्ति को कार्य सम्पादन रिपोर्ट और आचरण संकाय सदस्य के रूप में संकाय चयन समिति और अन्य कर्मचारियों के मामले में कुलपति के पुनर्विलोकन में संतोषप्रद पाए जाने पर स्थायी किया जा सकता है। समिति/कुलपति उसके काम के आधार पर यदि कार्य सम्पादन असंतोषजनक पाया जाता है और परिवीक्षा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से विनिर्दिष्ट अवधि किन्तु चार वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ायी गयी हो तो उसे उसके पद पर यदि कोई हो पुष्टि के संबंध में पूर्व स्वीकृति के लिए संस्तुति यदि कोई हो दे सकती है, यदि कार्य सम्पादन असंतोषजनक पाया जाता है तो परिवीक्षा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम चार वर्ष तक की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए बढ़ायी जा सकेगी। स्थायीकरण समुचित प्राधिकारी के आदेश से किया जाएगा।

(2) नियुक्त व्यक्ति अधिनियम और परिनियमों के प्राविधानों के अध्यधीन [illegible] तिथि के माह की अन्तिम तिथि तक लगातार सेवा में रहेगा।

परन्तु यह कि शिक्षक की पुनर्नियुक्ति प्राध्यापक, सह प्राध्यापक या सहायक प्राध्यापक के रूप में शिक्षण और शोध के लिए [illegible] शैक्षणिक सत्र के अन्त तक नियमित रूप से की जा सकती है।

(3) [illegible] अल्पकालिक कर्मचारियों को छोड़कर विश्वविद्यालय से [illegible] रूप में लिखित रूप में [illegible] और विश्वविद्यालय के चिकित्साधिकारी/सक्षम प्राधिकारी से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(4) ऐसे कर्मचारी जिनका परिवीक्षा काल समाप्त हो गया है और जिनकी परिवीक्षा अवधि बढ़ाए जाने की कोई [illegible] नहीं हुई है, [illegible] उनको परिवीक्षा अवधि समाप्त हो जाने की तारीख के एक वर्ष बाद स्थायी समझा जाएगा।

(5) विश्वविद्यालय का कर्मचारी कोई अन्य सेवा, व्यापार या गतिविधियां [illegible] परामर्श या ऐसी गतिविधियां जिसके लिए [illegible] प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त न कर ली हो [illegible] नहीं कर सकेगा।

(6) विश्वविद्यालय के संकाय के सदस्यों व अधिकारियों सहित अस्थायी कर्मचारी की सेवा [illegible] विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय बिना किसी कारण बताए हुए एक [illegible] एक माह का वेतन देते हुए सेवा समाप्त की जा सकती है।

(7) विश्वविद्यालय के कर्मचारी विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर बनाए [illegible] नियमों से नियंत्रित होंगे।

(8) विश्वविद्यालय के कर्मचारी [illegible] दैनिक भत्ता और [illegible]

(9) विश्वविद्यालय के कर्मचारी परिनियम 36 [illegible] अवकाश [illegible]

(10) विश्वविद्यालय का कोई सदस्य या अधिकारी एक माह के [illegible] वेतन [illegible] अधिकारी के अनुमोदन पर विश्वविद्यालय को छोड़ सकता है।

(11) कर्मचारियों [illegible] होने वाले चिकित्सा [illegible] से संबंधित नियम [illegible] द्वारा [illegible]

25– कर्मचारी का हटाया जाना

(1) [illegible] का उल्लंघन किया हो [illegible] विश्वविद्यालय [illegible] कर्मचारी के [illegible] निर्धारित स्पष्टीकरण लेने [illegible] और [illegible] चेतावनी देने की कार्यवाही कर सकता है।

(2) कुलपति [illegible] का विचार किए बिना किसी कर्मिक का दुराचरण, आदेशों के [illegible] और [illegible] यह समाधान हो [illegible] है कि ऐसा करना विश्वविद्यालय [illegible] के लिए आदेश पारित कर

सकता है तथा यदि किसी मामले में जहाँ वह नियुक्ति अधिकारी है, निर्णय ले सकता है। अन्य मामलों में वह आवश्यक कार्यवाई हेतु बिना किसी संस्तुति के जांच रिपोर्ट कार्यसमिति के समक्ष रखेगा।

(3) कार्मिक को हटाना या पदच्युति आदेश जारी करने की तिथि से प्रभावी होगी। निलम्बित कार्मिक के मामले में पद से हटाने की संस्तुति या पदच्युति निलम्बन की तिथि से प्रभावी होगी।

26- अधिभार [धारा 22 (च)] -

(1) यदि विश्वविद्यालय की या निधियों या सम्पत्ति की क्षति या हानि, दुरुपयोग की कोई शिकायत सरकार द्वारा प्राप्त होती है या राज्य सरकार स्वयं इस पर विचार करना उचित समझती है तो वह निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की विशेष लेखा परीक्षा करा सकता है।

(2) राज्य सरकार लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय के उस कार्मिक को जिसकी उपेक्षा के कारण या प्रत्यक्ष क्षति, हानि या दुर्विनियोजन हुआ नियत समय के अन्दर [illegible] राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाए, उसके कार्य का स्पष्टीकरण मांगते हुए नोटिस जारी किया जा सकता है।

(3) राज्य सरकार [illegible] सम्परीक्षा लेखा और सम्बन्धित कार्मिक के उत्तर के विचारोपरान्त इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाई कर सकती [illegible] यदि राज्य सरकार यह निश्चित करती है कि कार्मिक द्वारा अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी [illegible] जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया गया है तो जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए उसे भू-राजस्व या किसी अन्य रीति से अवशेष के रूप में वसूल किया जायेगा।

27 -विश्वविद्यालय परामर्शी समिति [धारा 22 (च)]-

(1) कार्य परिषद, शैक्षिक (विद्वत) परिषद की संस्तुति पर कार्य परिषद और शैक्षिक (विद्वत) परिषद को शैक्षिक [illegible] के मामलों में परामर्श के लिए कुलपति की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय परामर्शी समिति का गठन कर सकती है।

परन्तु यह कि ऐसा परामर्श बाध्यकारी नहीं होगा।

(2) परामर्शी समिति के सदस्य शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण [illegible] चिकित्सा, प्रबन्धन [illegible] सामाजिक विज्ञान, जनसंचार, उद्योग तथा विश्वविद्यालय के अध्ययन के ऐसे अन्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

(3) परामर्शी समिति में सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

(4) [illegible] कार्यकाल विश्वविद्यालय द्वारा [illegible] के समय अवधारित किया जायेगा।

(5) विश्वविद्यालय का कुलसचिव समिति का गैरसदस्यीय सचिव होगा।

28 विश्वविद्यालय के परिसर/परिसरों में अनुशासन का अनुरक्षण

[illegible] के अधीन सभी शक्तियां होंगी जिनके द्वारा गतिविधियों के सुचारु संचालन और विश्वविद्यालय के परिसर/परिसरों में अनुशासन स्थापित करेगा। इस सम्बन्ध में कुलपति के निर्णय [illegible] होगा।

29 महाविद्यालय/संस्थाओं की सबद्धता (धारा 5) -

(1) विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्ध कर सकती है

परन्तु यह कि–

किसी महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्धता की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि दून विश्वविद्यालय [illegible] में प्रस्तावित अध्ययन स्कूलों को स्थापित नहीं कर लेता है और अंतिम प्रस्तावित स्कूल की स्थापना या संचालन को न्यूनतम दो वर्ष पूर्ण नहीं हो गए हैं।

(2) सम्बद्धता के लिए आवेदन करने वाला महाविद्यालय/संस्था सम्बद्धता के लिए आवेदन करते समय जिस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र दून विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा।

(3) [illegible] के लिए प्रवेश की अर्हता और प्रवेश का प्रकार, संकाय की भर्ती की प्रक्रिया, संकाय छात्र अनुपात, परीक्षा और मूल्यांकन का तरीका, विभिन्न पाठ्यक्रमों का पाठ्य विवरण और पाठ्यक्रम शुल्क ढांचा और शिक्षकों के वेतन ढांचा आवेदन करने वाली संस्था/विद्यालय दून विश्वविद्यालय के समान होगा।

(4) सम्बद्धता प्राप्त करने वाले महाविद्यालय/संस्था का संरचनात्मक स्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या कोई अन्य राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जैसी भी स्थिति हो अधिलिखित मानकों के अनुरूप होगा।

(5) यदि कोई महाविद्यालय/संस्था पांच वर्ष या उससे अधिक से स्थापित है या उसकी मान्यता का स्तर उत्कृष्ट है तब वह महाविद्यालय/संस्था अपनी स्थापना के विलेख की प्रति विगत पांच वर्ष की लेखा परीक्षा और राज्य सरकार या राज्य के विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त मान्यता की प्रति साक्ष्य में प्रस्तुत करेगा।

(6) विश्वविद्यालय की शैक्षिक (विद्वत) परिषद् द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समिति जिसमें शैक्षिक समिति [illegible] समिति के अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं सम्बद्धता के लिए आवेदन करने वाले महाविद्यालय/संस्था का निरीक्षण करेगी और उसकी संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट के प्रारूप पर स्पष्ट रूप से सम्बद्धता प्रदान करने या नहीं करने का कारण अंकित करेगी।

(7) शैक्षिक (विद्वत) परिषद् उपर्युक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इसके निर्णय हेतु अपनी संस्तुति के साथ कार्य परिषद् को प्रस्तुत करेगी।

(8) किसी मामले में कार्य परिषद् महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय लेती है, तो विश्वविद्यालय सम्बद्ध होने वाले महाविद्यालय/संस्था की कोई वित्तीय या अन्य उत्तरदायित्व संबंधी विरासती बाध्यताएं स्वीकार नहीं करेगा।

(9) इस प्रकार सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्था विश्वविद्यालय के शिक्षकों को बनाए रखने की अपेक्षा [illegible] आधार पर पूर्ति करेगी।

(10) शैक्षिक (विद्वत) परिषद् को सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्था के किसी भी [illegible] विमर्श करने और [illegible] की नियुक्ति [illegible] सहित आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार होगा।

(11) [illegible] महाविद्यालय/संस्था जिसे सम्बद्धता की अनुज्ञा [illegible] विश्वविद्यालय [illegible] पर जिसमें सम्बद्धता की शर्तें और [illegible] का विवरण अंकित हो हस्ताक्षर करेगी।

(12) [illegible] विश्वविद्यालय की शैक्षिक (विद्वत) परिषद् द्वारा गठित समिति की संस्तुति पर किसी महाविद्यालय/संस्था [illegible] उसके और विश्वविद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों और निबंधनों के उल्लंघन करने या किसी [illegible] विश्वविद्यालय [illegible] सम्बद्धता प्रत्याहरित कर सकता है।

10 स्कूल सोसाइटी और विश्वविद्यालय छात्र परिषद् धारा 22 (घ)

(1) [illegible] छात्र [illegible] सांस्कृतिक [illegible] जो स्कूल का शैक्षणिक और बौद्धिक विकास करे [illegible] के लिए [illegible] सकते हैं स्कूल सोसाइटी की कार्यकारी समिति का विश्वविद्यालय के प्रत्येक स्कूल से [illegible] स्नातक कक्षाओं से और [illegible] परास्नातक कक्षाओं [illegible] सोसाइटी की निर्वाचित कार्यकारी समिति सदस्य [illegible] पदाधिकारी [illegible] अभ्यर्थियों की [illegible] और पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया ऐसी होगी [illegible] 25 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) [illegible] एक [illegible] परास्नातक [illegible] और दूसरा स्कूल के [illegible] स्नातक [illegible] विश्वविद्यालय [illegible] परिषद् से [illegible] के लिए चुने जाएंगे। अभ्यर्थियों की [illegible] और पदाधिकारियों की चुनाव [illegible] ऐसी होगी जैसी [illegible] यह कि [illegible] वाले की अधिकतम [illegible] मामले में आयु सीमा 28 वर्ष होगी।

(3) चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी

(क) भ्रष्ट चुनाव आचरण में आसक्त नहीं होगा,

(ख) सामुदायिक और जातीय अपील नहीं करेगा,

(ग) प्रकाशित पोस्टर और बैनर नहीं लगाएगा,

(घ) विश्वविद्यालय के भवन तथा उसके ढांचे को चिपकाए जाने वाले पोस्टर तथा लिखित नारों से विरूपित नहीं करेगा, और

(ङ) [illegible] से किसी प्रकार की [illegible] छात्रों से स्वैच्छिक अंशदान के अतिरिक्त प्राप्त नहीं करेगा।

(4) स्कूल सोसाइटी और विश्वविद्यालय छात्र परिषद् एक शैक्षिक सत्र के लिए कार्यरत रहेंगी, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए चुनाव में आने वाले व्यय की सीमा, अर्हता और आधार सहित विहित की जाएगी।

(5) स्कूल सोसाइटी और विश्वविद्यालय छात्र परिषद् कार्यकारी समिति के भाग हुए बिना संकाय को सुकर बनाए जाने की दृष्टि से सहायता दी जा सकती है, इन की श्रेणी वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक या प्राध्यापक की होगी।

(6) इन दो संस्थाओं द्वारा विभिन्न छात्र गतिविधियों को आयोजित करने का प्रस्ताव अधिष्ठाता, छात्र कल्याण सम्बन्धित संकाय [illegible] सहायता देना सुकर बनाया जाय, चक्रीय क्रमानुसार होंगे।

(7) कुलपति स्कूल सोसाइटी की कार्यकारी समिति या विश्वविद्यालय छात्र परिषद् को केन्द्रीय अनुशासन समिति [illegible] यदि उसका समाधान हो जाय कि सोसाइटी या समिति की गतिविधियां विश्वविद्यालय के सम्बन्धित स्कूल में अनुशासन और [illegible] को संचालित करने में अक्षम हो गई है, तो भंग कर सकता है।

31–पूर्व छात्र संगम संगठन (धारा 22)–

विश्वविद्यालय [illegible] सदस्यता शुल्क लेकर एक पूर्व छात्र संगम संगठन स्थापित किया जायेगा। संगठन [illegible] कार्यकारी समिति का चुनाव करेगा। अधिष्ठाता, छात्र कल्याण संगठन के क्रियाकलापों को संचालित करने में सहायता प्रदान करेगा।

32–मुख्य छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक, सहायक छात्रावास अधीक्षक (धारा 22)–

विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्रावास के लिए एक छात्रावास अधीक्षक होगा, जो [illegible] निवास और [illegible] छात्रों के कल्याण की देख रेख करेगा। छात्रावास अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा [illegible] नियमों को कड़ाई से पालन हो। छात्रावास अधीक्षक मुख्य छात्रावास अधीक्षक [illegible] (अधिष्ठाता) होगा, जिसमें सम्बन्धित स्कूल का [illegible] और अधिष्ठाता छात्र कल्याण [illegible] से सम्बन्धित मामलों के बारे में रिपोर्ट देगा। प्रत्येक छात्रावास के लिए [illegible] क्रियाकलापों [illegible] एक सहायक छात्रावास अधीक्षक हो सकता है।

33–छात्र परामर्श पद्धति और छात्र चिन्हीकरण संख्या (धारा 22)–

[illegible] विश्वविद्यालय [illegible] छात्रों की [illegible] किसी संकाय सदस्य को सौंप कर [illegible] छात्र परामर्श समिति बनाकर [illegible] कर सकेगा। संकाय सदस्य [illegible] के रूप में कार्य करेगा और [illegible] छात्रों के शैक्षणिक [illegible] शैक्षणिक मामलों को [illegible] की पूर्ति को नियमित रूप से शैक्षणिक [illegible] और जब यदि आवश्यक हो तो [illegible] प्रत्येक छात्र के लिए [illegible] प्रवेश के समय एक [illegible] संख्या जारी करेगा, [illegible] स्थायी अभिलेख होगा। छात्रों से सम्बन्धित सभी मामलों पर [illegible] संख्या के प्रयोग के साथ कार्यवाही की जाएगी।

34–परामर्शी एवं व्यावसायिक सेवाएं (धारा 22)–

[illegible] कुलपति से इस निमित्त अनुमति प्राप्त कर [illegible] परामर्शी और व्यावसायिक [illegible] शैक्षणिक कार्यक्रम के [illegible] राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के [illegible] में [illegible] सकता है।

[illegible] परामर्श और व्यावसायिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय [illegible] को चिन्हित करेगा।

[illegible] 60 [illegible]

[illegible] से सम्बन्धित प्राप्त होने वाले व्यावसायिक शुल्क का 40 प्रतिशत अंश विश्वविद्यालय के विकास [illegible] शुल्क का बाकी 60 प्रतिशत अंश में से [illegible] व्यय का [illegible] अवशेष धनराशि उक्त कार्य में संलिप्त संकाय सदस्य को देनी होगी।

[illegible] परामर्शी और व्यावसायिक [illegible] शैक्षणिक [illegible]

35–सेवानिवृत्ति की आयु (धारा 22)–

(1) विश्वविद्यालय के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष होगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को (स्थायी या अस्थायी) 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त बिना किसी कारण बताए विश्वविद्यालय के हित में तीन माह का नोटिस देकर या इस क्रम में तीन माह के वेतन भुगतान करने का नोटिस देकर सेवानिवृत्त कर सकता है। विश्वविद्यालय का कोई कार्मिक 45 वर्ष की आयु या विश्वविद्यालय में 20 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त तीन माह के नोटिस पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर सकता है।

(3) कर्मचारी राज्य सरकार के कार्मिकों के समरूप अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ यदि कोई हो प्राप्त करेगा परन्तु यदि कोई कार्मिक सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त कर रहा हो विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करता है तो विश्वविद्यालय उसके हित में राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप संरक्षण दे सकता है।

36–अवकाश नियम (धारा 22)–

(1) विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कार्मिकों को छोड़कर समस्त कार्मिकों पर यह अवकाश नियम लागू होंगे।

(2) अवकाश का किसी भी प्रकार से अधिकार स्वरूप नहीं लिया जायेगा [illegible] के हित में किसी अवकाश के उपभोग करने से मना किया जा सकता है कटौती की जा सकती है या अवकाश पर [illegible] कार्मिक को वापस बुलाया जा सकता है।

[illegible] अधिष्ठाता, और [illegible] नियंत्रक अधिकारियों के अवकाश [illegible] स्वीकृत [illegible] अधिष्ठाता, कीटीय, [illegible] और नियंत्रक अधिकारी [illegible] कार्मिकों के [illegible] स्वीकृत [illegible] में [illegible] अवकाश का उपभोग किया [illegible]

(4) [illegible] अवकाश स्थायी कार्मिकों को अनुमन्य होंगे। विश्वविद्यालय के कार्मिकों को अनुमन्य होने वाले अवकाश निम्नलिखित होंगे –

(क) आकस्मिक अवकाश एक कलेण्डर वर्ष में 14 दिन [illegible] अगामी कलेण्डर वर्ष में अग्रेतर नहीं किया जायेगा।

[illegible] पर [illegible] अवकाश [illegible] दिन का अवकाश [illegible] एक बार [illegible] को [illegible] अवकाश [illegible] जायेंगे।

[illegible] 365 [illegible] अवकाश को अधिकतम [illegible] दिन की अनुमति [illegible] अस्थायी कर्मचारी को अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में 120 दिन के अवकाश की अनुमति होगी।

[illegible] अवकाश [illegible] कार्मिक के [illegible] कोई अन्य अवकाश [illegible] नहीं [illegible] परिस्थितियों के [illegible] स्वीकृत किया जायेगा यह अवकाश केवल [illegible] स्वीकृत किया [illegible] की सेवा के उपरान्त स्वीकृत किया जायेगा। [illegible] अवकाश [illegible] अवकाश [illegible] यह असाधारण अवकाश सम्पूर्ण सेवाकाल में पांच वर्ष से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

[illegible] कार्मिकों के लिए विश्वविद्यालय के नियम के अनुरूप 135 दिनों की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा।

(च) चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अवकाश—

(एक) स्थायी कार्मिक अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 12 महीनों का चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अवकाश उपभोग कर सकेगा। यदि उपार्जित अवकाश के साथ यह अवकाश उपभोग किया जाता है तो इसकी अवधि एक बार में 8 माह से अधिक नहीं होगी। यह अवकाश सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त चिकित्सा प्रमाणपत्र कुलपति को प्रस्तुत कर उपभोग किया जा सकता है।

(दो) अस्थायी कार्मिक अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम चार महीनों का चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अवकाश का उपभोग कर सकेगा। उपार्जित अवकाश के साथ अवकाश लेने पर एक बार में 8 माह से अधिक का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यह अवकाश सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त चिकित्सा प्रमाणपत्र पर नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत करने पर उपभोग किया जा सकेगा। यह अवकाश जिस पद से कार्मिक अवकाश पर गया है अपने कार्य पर वापस आने तक की शर्त के अध्यधीन स्वीकृत किया जा सकेगा।

(छ) विश्राम दिवस सम्बन्धी अवकाश विश्वविद्यालय का कोई [illegible] शिक्षक जिसने विश्वविद्यालय की न्यूनतम [illegible] वर्षों की सेवा कर [illegible] उन्नत शोध कार्य करने के लिए पूर्ण वेतन पर एक वर्ष का विश्राम दिवस सम्बन्धी अवकाश उपभोग कर सकता है [illegible] से यह वचन देना होगा कि वापस आने पर विश्वविद्यालय के [illegible] अगले दो वर्ष की सेवा करेगा तथा असफल [illegible] ऐसा शिक्षक प्राप्त अवकाश वेतन, अंशदायी भविष्य निधि [illegible] के दर सहित वापस करेगा। किसी शिक्षक को विश्राम दिवस सम्बन्धी अवकाश तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि पूर्व में विश्राम दिवस सम्बन्धी स्वीकृत अवकाश तथा आवेदित अवकाश में 6 वर्ष का समय व्यतीत न हो गया हो। शिक्षक संस्था में जहां विश्राम दिवस सम्बन्धी अवकाश व्यतीत कर रहे हैं शोध अध्येतावृत्ति या कोई अन्य [illegible] नियुक्ति स्वीकार कर सकता है [illegible] शिक्षक द्वारा ऐसे स्रोत से प्राप्त धनराशि अवकाश अवधि के दौरान विश्वविद्यालय से प्राप्त अवकाश वेतन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

(ज) ड्यूटी अवकाश शिक्षक को विश्वविद्यालय से बाहर किसी [illegible] में पदीय बैठक में प्रतिभाग करने, परीक्षा आयोजित करने और अपनी व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने के प्रयोजन से अन्य संस्थाओं/सम्मेलनों में भ्रमण [illegible] [illegible] वर्ष में 25 दिन के लिए ड्यूटी अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(झ) अध्ययन अवकाश शिक्षकों को विश्वविद्यालय की दो वर्ष की सेवा के पश्चात् अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में [illegible] / [illegible] कार्यक्रम या अन्य किसी पराकास्तकीय कार्यक्रम के अध्ययन के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा :—

(एक) यदि कोई शिक्षक गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यू0आई0पी0)/संकाय सुधार कार्यक्रम (एफ0आई0पी0) कार्यक्रम के अधीन सरकार या सरकारी संस्था से [illegible] या नामित किया जाता है या कुलपति की अनुमति प्राप्त [illegible] के बाद किसी अभिकरण से छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति प्राप्त करता है तो उसे अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया [illegible] सरकार या सरकारी संस्था से प्रायोजित अभ्यर्थी के मामले में अध्ययन अवकाश की अवधि का वेतन और भत्ते [illegible] [illegible] अभ्यर्थी को देने के लिए वचन देगा। अवकाश सम्बन्धित संस्था द्वारा प्रतिस्थानी के लिए [illegible] अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। अध्ययन अवकाश पर गए शिक्षक अवधि के [illegible] [illegible] प्राप्त करेगा [illegible] अवकाश [illegible] शिक्षक कोई अध्येतावृत्ति [illegible] [illegible] अवकाश की अवधि में किसी बाह्य अभिकरण से स्वीकार कर सकता है।

(दो) कोई शिक्षक जो उपरोक्त खण्ड (एक) से आच्छादित नहीं होता है वह अध्ययन अवकाश उस [illegible] [illegible] अवकाश का पूर्ण वेतन या अर्ध वेतन पर महंगाई भत्ता सहित उपभोग कर अवकाश [illegible] जा सकता है।

[illegible] अध्ययन अवकाश पर स्नातकोत्तर मामले में दो वर्ष और डाक्टरेट कार्यक्रम में तीन वर्ष के [illegible] किसी कुलपति द्वारा मामले में आपवादिक परिस्थितियों में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(चार) शिक्षक यह वचन देगा कि वह वापस आने पर अध्ययन अवकाश के एक वर्ष के लिए न्यूनतम दो वर्ष की सेवा देगा [illegible] विश्वविद्यालय द्वारा अवकाश अवधि के दौरान भुगतान की गयी राशि के बराबर धनराशि, अंशदायी भविष्य निधि की दर से आगणित कर विश्वविद्यालय को भुगतान करेगा।

(पांच) अध्ययन अवकाश में गया शिक्षक नियमित रूप से उसे अनुमन्य वार्षिक वेतनवृद्धि और विश्वविद्यालय अंशदान भविष्य निधि में विश्वविद्यालय को देने की अनुमति होगी।

(छः) कोई शिक्षक अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार अध्ययन अवकाश का उपभोग कर सकता है।

(ञ) प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप किसी कार्मिक/शिक्षक को अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत की जा सकती है।

37 भविष्य निधि (धारा 22)–

(1) विश्वविद्यालय में सभी नियुक्तियां अंशदायी भविष्य निधि की योजना के अधीन की जाएगी। पेंशन योजना के लिए केवल उन्हीं कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा जो ऐसे संगठन से विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण करते समय राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि सहित पूर्व पेंशन योजना से आच्छादित थे

(2) सभी नई नियुक्तियां शासनादेश संख्या 21/XX [illegible] अंशदायी पेंशन योजना/2005 दिनांक 25 अक्टूबर 2005 के प्राविधानों के अधीन की जाएगी कर्मचारी तद्नुसार सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त करेंगे

38– सेवानिवृत्तिक उपादान

विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्तिक उपादान विश्वविद्यालय द्वारा [illegible] शर्तें एवं निर्बन्धन के अधीन अनुमन्य किया जाएगा।

39–यात्रा एवं अन्य भत्ते [धारा 22 (च)]–

(1) [illegible] और समितियों की बैठकों में [illegible] करने और [illegible] कार्यों के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का भुगतान निवास स्थान से बाहर के लिए भुगतान किया जाएगा।

(2) सदस्य को [illegible] अनुमन्य [illegible] श्रेणी के आधार पर [illegible] द्वारा [illegible] / [illegible] [illegible] जहाँ से यात्रा [illegible] की है जो भी कम हो से [illegible] किया जाएगा। [illegible] सदस्य [illegible] के कारण [illegible] हो और वहां से यात्रा [illegible] करते हैं [illegible] अनुमन्य होगा, [illegible] मामलों में [illegible] उच्च श्रेणी [illegible] की अनुमति दे सकता है।

(3) [illegible] परिस्थितियों में [illegible] परीक्षक [illegible] किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा [illegible] विश्वविद्यालय [illegible] करने के लिए [illegible] से यात्रा करने की अनुमति [illegible]

(4) कोई सदस्य विश्वविद्यालय की बैठक या [illegible] कार्य के लिए [illegible] [illegible] अधिकारी को [illegible] बैठक [illegible] के लिए [illegible] किसी [illegible] यदि सदस्य विश्वविद्यालय की दो या दो से अधिक [illegible] [illegible] बैठक [illegible] स्थान [illegible]

(5) निम्नलिखित गैर पदीय सदस्य

[illegible] अधिकारी [illegible] सरकार [illegible] अधिकारियों [illegible]

[illegible] व्यक्ति [illegible] के नियम या आदेशों के अधीन अनुमन्य हो

[illegible] की अनुमति दी जा सकती है

[illegible]

(7) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को

[illegible] सरकारी [illegible] के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अवधारित भत्ता और विराम भत्ता अनुमन्य होगा।

[illegible] परिस्थितियों [illegible] की अनुमति दे सकता है।

(8) विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ऐसे मामलों में जो इन परिनियमों से आच्छादित नहीं होंगे [illegible] भत्ता दरें अवधारित कर सकती हैं।

(9) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को दैनिक भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा उसके कर्मचारियों को समय समय पर अनुमोदित और परिवर्धित दर पर संदाय किया जाएगा।

40 डिग्री और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना (धारा 24)–

(1) परिनियम 16 में विवर्णित विश्वविद्यालय के स्कूलों में शोध, परास्नातक और स्नातक स्तर की डिग्री [illegible] डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं शैक्षिक (विद्वत) परिषद द्वारा प्रस्तावित तथा कार्य परिषद के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा शर्तों के अध्याधीन संस्थित की जाएगी, डिग्रियां को विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में संस्थित किया जाएगा इसके लिए अध्यादेशों/विनियमों में नियम विहित किए जायेंगे।

(2) [illegible] उपाधियों को संस्थित किए जाने के लिए प्रस्ताव विश्वविद्यालय के कुलपति और [illegible] के [illegible] समिति करेगी। यदि शैक्षिक (विद्वत) परिषद और कार्य परिषद के समक्ष प्रस्ताव स्वीकार कर लिया [illegible] के लिए कुलाधिपति को प्रस्तुत करने से पूर्व [illegible] रखा जाएगा।

(3) शैक्षिक [illegible] परिषद द्वारा निर्धारित अध्यादेशों/विनियमों के उपबन्धों [illegible] के अधीन प्रदान की गई डिग्री विश्वविद्यालय वापस ले सकता है।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक डिग्री के प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षा [illegible] अध्यादेशों/विनियमों में विहित की जाएगी।

41 अध्येयतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक तथा अन्य पुरस्कार

[illegible] परिषद शैक्षिक (विद्वत) परिषद की संस्तुति पर अध्येयतावृत्ति, छात्रवृत्ति [illegible] के अनुमोदन करेगी। [illegible] स्वयं अथवा [illegible] की संस्तुति [illegible] है।

42–अध्यादेश (धारा 24)–

[illegible] इन परिनियमों के [illegible] के [illegible] विश्वविद्यालय [illegible] शिक्षा के [illegible] और [illegible] विश्वविद्यालय [illegible] और विश्वविद्यालय के शिक्षकों [illegible] और शर्तें तथा [illegible] कर सकती है।

[illegible] परिषद द्वारा शैक्षिक (विद्वत) परिषद की संस्तुति [illegible] कार्य परिषद [illegible] शैक्षिक (विद्वत) परिषद के [illegible] विचार के लिए [illegible] कर सकती है। [illegible] शैक्षिक (विद्वत) परिषद [illegible]

[illegible] कार्य परिषद [illegible] शैक्षिक (विद्वत) [illegible] किया जा सकता है।

43 विनियम (धारा 25)

[illegible] विश्वविद्यालय के [illegible] के अतिरिक्त [illegible] विनियम बना सकेंगे

[illegible]

[illegible] से संबंधित [illegible] मामले [illegible] और शैक्षिक [illegible] संबंधित मामले जो अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों में उपबन्धित नहीं हैं

[illegible] द्वारा नियुक्त प्राधिकारियों और समितियों से संबंधित मामले जो अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों में उपबन्धित नहीं हैं और

(घ) अन्य कोई मामले जो प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक समझे जाए

(ङ) शैक्षिक विनियम कार्य परिषद् द्वारा स्वय अथवा स्कूल सकाय परिषद्/परिषदो की सस्तुति पर सशोधित किए जा सकते हैं

आज्ञा से

अजली प्रसाद

सचिव।

पी0ए0ओ0 (आर0ई0) 19 हिन्दी गजट/341 भाग 1 2009 (कम्प्यूटर/सीजियो)।

मुद्रक एवम प्रकाशक संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रणालय उत्तरांचल रुडकी।

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

[illegible]राखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 मई, 2009 ई० (बैशाख 19, 1931 शक सम्वत्)

भाग 1–क

[illegible] के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

31 मार्च, 2009 ई०

[illegible] 170/ [illegible]/वि०नि०आ० [illegible] विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 87 [illegible] को [illegible] किया जाता है

उद्योग एवं वाणिज्य प्रतिनिधि–

1	[illegible] उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	[illegible] अध्यक्ष
2	[illegible] सदस्य, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	[illegible]
3	श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन ऑफ उत्तराखण्ड द्वारा मै० सत्या इन्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला इन्डस्ट्रियल एरिया, देहरादून	सदस्य
4	अध्यक्ष, सी०आई०आई०, नेपाल हाऊस, राजपुर रोड, देहरादून	सदस्य
5	अध्यक्ष कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्रीज चैम्बर हाउस, इण्ड० एरिया, बाजपुर रोड, काशीपुर	सदस्य
6	श्रीमती लवलीना मोदी, वाईस प्रेसीडेन्ट, ग्रेट वैल्यू होटल राजपुर रोड, देहरादून	सदस्य

7	श्री अनिल गोयल, प्रदेश महामंत्री, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, उत्तरांचल 13, गांधी रोड, देहरादून	सदस्य

कृषि प्रतिनिधि -

8	कुलपति, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर	सदस्य

श्रम प्रतिनिधि–

9.	श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड शासन, मोटिया पड़ाव, हल्द्वानी	सदस्य

गैर सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0) प्रतिनिधि -

10.	श्री रवि चोपड़ा, पी0एस0आई0 252/1, वसन्त विहार, देहरादून	सदस्य

विद्युत क्षेत्र में अकादमी एवं शोध संस्था प्रतिनिधि–

11	श्री राकेश नाथ, अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सेवा भवन, आर के पुरम, दिल्ली	सदस्य
12	प्रो0 अरुण कुमार एल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सेन्टर, आई0आई0टी0, रुड़की	सदस्य
13	श्री एस0सी0 डिगरा, 224 मन्दाकिनी एनक्लेव अलकानन्दा नई, नई दिल्ली	सदस्य

परिवहन प्रतिनिधि

14	चीफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रिब्यूशन इंजीनियर उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस नई दिल्ली 2	सदस्य

विद्युत उपभोक्ता प्रतिनिधि

15	श्री नवीन चन्द्र वर्मा प्रान्तीय संयुक्त महामंत्री, देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखण्ड शारदा मार्केट हल्द्वानी	सदस्य
16	ब्रिगेडियर के0जी0 बहल (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष आल इंडिया कनज्यूमर्स कौन्सिल 8 ए नेमी रोड, डालनवाला, देहरादून	सदस्य
17	डा0 एस0के0 कुलश्रेष्ठ, दून कनज्यूमर्स एवं प्रोटेक्शन सोसाईटी 9 ओल्ड सर्वे रोड, देहरादून	सदस्य
18.	मुख्य विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड पंचायत घर बड़ी मुखानी, हल्द्वानी	सदस्य

19. प्रमुख सचिव / सचिव, पदेन सदस्य
खाद्य एवं रसद, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

20. प्रमुख सचिव / सचिव, ऊर्जा, पदेन सदस्य
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विद्युत अधिनियम की धारा 88 के प्राविधानान्तर्गत सलाहकार समिति का दायित्व आयोग को निम्न बिन्दुओं पर सलाह देना है –

i) Major questions of policy

ii) Matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees

iii) Compliance by licensees with the conditions and requirements of their licence

iv) Protection of consumers interest and

(v) Electricity supply and overall standards of performance of utilities

उत्तराखण्ड वि[illegible] नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004 के विनियम 3 के प्राविधानान्तर्गत समिति का कार्यकाल दिनांक 01.04.2009 से एक वर्ष तक होगा, जब तक किसी सदस्य की नियुक्ति विनियम में निहित रीति से इससे पूर्व समाप्त न कर दी जाए।

आयोग की आज्ञा से

पंकज प्रकाश,
सचिव।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी

आदेश

28 जनवरी, 2009 ई0

पत्रांक 2769 / प्रशासन / लाईसेन्स निलम्बन / 09 श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] निवासी [illegible] हल्द्वानी, जिला नैनीताल द्वारा ओवरलोडिंग कर वाहन का संचालन करने के कारण [illegible] द्वारा उनके लाइसेन्स संख्या यूए 04 / टी 1264 / 05 जो इस कार्यालय द्वारा वैनिक हल्की वाहन हेतु जारी [illegible] के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। इस सम्बन्ध में लाईसेन्स धारक को दिनांक 22.12.2008 [illegible] सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। लाईसेन्स धारक दिनांक [illegible] 2009 को अधोहस्ताक्षरी [illegible] उपस्थित हुआ [illegible] किये गये अपराध के सम्बन्ध में कोई [illegible] प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः लाइसेन्सिंग अधिकारी के रूप में मैं एस0के0 सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाईसेन्स संख्या यूए 04 / टी 1264 / 05 को दिनांक 16.01.2009 से 15.04.2009 तक की अवधि के लिए निलम्बित करता हूँ।

28 जनवरी, 2009 ई0

पत्रांक 2763 / प्रशासन / लाइसेन्स निलम्बन / 09 श्री [illegible] सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी [illegible] [illegible] जिला अल्मोड़ा द्वारा ओवरलोडिंग कर वाहन का संचालन किये जाने के कारण [illegible] भवाली द्वारा उनके लाईसेन्स संख्या 10783 / के / 2001 जो इस कार्यालय द्वारा वैनिक भारी वाहन हेतु जारी किया गया था, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। इस सम्बन्ध में लाईसेन्स धारक को दिनांक 23.12.2008 को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। लाईसेन्स धारक दिनांक 27.01.2009 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हुआ परन्तु उसके द्वारा किये गये अपराध के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में मैं एस0के0 सिंह सम्भागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाईसेंस संख्या 10083/के/2001 को दिनांक 27.01.2009 से 26.07.2009 तक की अवधि के लिए अनर्ह करता हूं।

28 जनवरी, 2009 ई0

पत्रांक 2769/प्रशासन/लाईसेन्स निलम्बन/09 श्री मनोज कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद निवासी ग्रा0 खुलाली पो0 बुगाछिना जिला पिथौरागढ़ द्वारा ओवरलोडिंग कर वाहन का संचालन किये जाने के कारण सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा उनके लाईसेन्स संख्या यू0 04/टी 269/05 जो इस कार्यालय द्वारा वैतानिक हल्की वाहन हेतु जारी किया गया था के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। इस सम्बन्ध में लाईसेन्स धारक को दिनांक 15.07.2008 को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, लाईसेन्स धारक दिनांक 27.01.2009 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हुआ परन्तु उसके द्वारा किये गये अपराध के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में मैं एस0के0 सिंह सम्भागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाईसेंस संख्या यू0 04/टी 269/05 को दिनांक 27.01.2009 से 26.07.2009 तक की अवधि के लिए अनर्ह करता हूं।

28 जनवरी, 2009 ई0

पत्रांक 2769/प्रशासन/लाईसेन्स निलम्बन/09 श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री नत्थू लाल निवासी [illegible] [illegible] बरेली द्वारा ओवरलोडिंग कर वाहन का संचालन किये जाने के कारण सम्भागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा [illegible] लाईसेंस संख्या एस0 12275/बरेली/06 जो कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी बरेली द्वारा [illegible] हेतु जारी किया गया था के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। इस सम्बन्ध में लाईसेंस धारक को दिनांक 24.07.2008 को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, लाईसेंस धारक दिनांक 28.01.2009 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हुआ परन्तु उसके द्वारा किये गये अपराध के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में मैं एस0के0 सिंह सम्भागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाईसेंस संख्या एस0 12275/बरेली/06 को दिनांक 28.01.2009 से 27.07.2009 तक की अवधि के लिए अनर्ह करता हूं।

एस0 के0 सिंह
सम्भागीय परिवहन अधिकारी
हल्द्वानी।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी गढ़वाल सम्भाग पौड़ी

आदेश

07 फरवरी, 2009 ई0

पत्रांक 49/लाईसेंस/निलम्बन/2009 श्री मनोज सिंह भण्डारी पुत्र श्री बचन सिंह निवासी ग्राम नौसिन [illegible] [illegible] कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल जिसके चालक लाईसेंस संख्या 8921/पौ0/02 था कि दिनांक 23.01.[illegible] [illegible] संख्या यू0के0 12टी0ए0 0138 मैक्सी कैब में [illegible] के स्थान पर [illegible] सवारी [illegible] [illegible] 09 को प्रवर्तन अधिकारी पौड़ी द्वारा किया गया था। चालक को कार्यालय के पत्रांक [illegible] सा0/प्रशा0/लाई0/09 दिनांक 23.01.2009 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र भेजा गया। चालक [illegible] 07.02.09 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जो कि संतोषजनक नहीं था।

अतः मूल्यांकन के उपरान्त लाईसेंस अधिकारी के रूप में मैं एम0एस0 रावत सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी इस [illegible] [illegible] पर अंकुश लगाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उपरोक्त लाईसेंस संख्या 8921/पौ0/02 को दिनांक 07.02.09 से 08.03.09 की अवधि तक के लिए निलम्बित करता हूं।

05 फरवरी, 2009 ई0

पत्रांक 250/लाईसेंस/निलम्बन/2009 श्री दीपक कुमार पुत्र श्री धीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम थपली पो0 तोली पट्टी कटुलस्यूं, जिला पौड़ी गढ़वाल जिसका चालक लाईसेंस संख्या 12091/पी0/05 जो कि दिनांक 07.02.2010 तक वैध है, का चालान वाहन संख्या यू0ए0 12ए0 2400 मैक्सी कैब में 08 के स्थान पर 10 सवारी परिवहन करने के अपराध में दिनांक 01.01.09 को प्रवर्तन अधिकारी पौड़ी द्वारा किया गया था। चालक को कार्यालय के पत्रांक संख्या 23/सा0प्रशा0/लाई0/09 दिनांक 07.01.2009 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र भेजा गया। चालक ने दिनांक 07.02.2009 में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जो कि संतोषजनक नहीं था।

अतः सुनवाई के उपरान्त लाइसेंस अधिकारी के रूप में मैं एम0एस0 रावत, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी इस प्रकार के कृत्यों पर अंकुश लगाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उपरोक्त लाइसेंस संख्या 12091/पी0/05 को दिनांक 05.02.09 से 05.04.09 की अवधि तक के लिए निलम्बित करता हूं।

एम0 एस0 रावत,
सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
पौड़ी।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

20 फरवरी, 2009 ई0

पत्रांक 17/लाइसेंस/निलम्बन/2009 [illegible] पुत्र श्री [illegible] लाल निवासी [illegible] टनकपुर जिला चम्पावत जिसका चालक लाइसेंस सं0 यू0 03/ [illegible]/ 59/05 जो कि दिनांक 31.05.2008 को समाप्त हो चुका था, का चालान उप जिलाधिकारी, पूर्णागिरि (टनकपुर) द्वारा किया गया था। चालक द्वारा इससे पूर्व भी वर्ष 2007 में जीप संख्या यू0पी0 0[illegible] 125 चलाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें 22 लोग सवार थे तथा [illegible] की मृत्यु भी हुई। चालक [illegible] नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। चालक को कार्यालय के पत्रांक संख्या 08/नोटिस/चालक लाइसेंस/2009 दिनांक 27.01.2009 को अपना स्पष्टीकरण मांगने हेतु पत्र भेजा गया। चालक ने 18.02.2009 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया।

अतः लाइसेंस प्राधिकारी के रूप में मैं हरवंश लाल तलवार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर जिला चम्पावत, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उपरोक्त लाइसेंस संख्या यू0 03/ [illegible]/ 59/05 को दिनांक 18.02.2009 से 17.02.2012 तक की अवधि के लिये निलम्बित करता हूं।

हरवंश लाल तलवार
लाइसेंस अधिकारी, मोटरवाहन विभाग,
टनकपुर (चम्पावत)।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल

आदेश

24 फरवरी, 2009 ई0

पत्र संख्या 903/सा0प्रशा0/लाईसेंस निरस्तीकरण/09 दिनांक 24.02.2011 तक वैध श्री भारत सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह निवासी ग्राम डबरा पो0 गडसीर जिला पौड़ी गढ़वाल के लाईसेंस संख्या डी 158/कोटद्वार/1999 को निरस्त करने की संस्तुति पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल ने पत्र संख्या आर 25/08 दिनांक 14.07.2008 द्वारा इस आधार पर की है कि दिनांक 13.07.2008 को मैक्सी कैब संख्या यू0ए0 7बी 7621 पर कार्यरत चालक श्री भारत सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह निवासी ग्राम डबरा पो0 गडसीर जिला पौड़ी गढ़वाल द्वारा 10 के सापेक्ष 16 सवारियां ले जाने के अपराध में अभियोग थानाध्यक्ष लक्ष्मणझूला द्वारा थाना लक्ष्मणझूला पर मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत मु0अ0स0 342/08 धारा 177, 138/194 एम0वी0 एक्ट पंजीकृत किया गया है। लाईसेंस धारक श्री भारत सिंह पुत्र

श्री महावीर सिंह निवासी ग्राम डबरा पो0 गडसीर, जिला पौड़ी गढ़वाल को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र संख्या 765 / सा0प्रशा0 / लाईसेन्स निरस्तीकरण / 2009 दिनांक 29-01 2009 को पंजीकृत डाक से भेजा गया था चालक श्री भारत सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह आज दिनांक 24 02-2009 तक न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है।

अत पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल द्वारा लाईसेन्स संख्या बी 158 कोटद्वार / 1999 को निरस्त करने की उपरोक्त संस्तुति के आधार पर अ [illegible] के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाईसेन्स अधिकारी के रूप में मैं करम सिंह सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 (एफ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24 02 2011 तक वैध उपरोक्त लाईसेन्स संख्या बी 158 / कोटद्वार / 1999 को निरस्त करता हूँ।

27 फरवरी, 2009 ई0

[illegible] 924 / सा0प्रशा0 / लाईसेन्स निरस्तीकरण / 09 दिनांक 12 02 2010 तक वैध श्री [illegible] कुमार पुत्र श्री [illegible] सिंह निवासी ग्राम बल्ली पो0 राजाबट पौड़ी गढ़वाल के लाईसेन्स [illegible] 968 / कोट[illegible] 2004 को निरस्त करने की संस्तुति पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल [illegible] संख्या [illegible] 25, 08 दिनांक 14 07 2008 द्वारा [illegible] की है कि दिनांक 11 07 2008 को जीप टैक्सी संख्या यू0ए05 [illegible] पर [illegible] चालक श्री [illegible] कुमार पुत्र श्री [illegible] सिंह निवासी ग्राम बल्ली पो0 राजाबाट पौड़ी गढ़वाल [illegible] 07 के सापेक्ष 10 [illegible] के [illegible] प्रभारी निरीक्षक थाना कोटद्वार द्वारा थाना कोटद्वार पर मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत [illegible] 66 / 194 [illegible] एम0वी0 एक्ट के अन्तर्गत [illegible] किया गया है [illegible] श्री [illegible] कुमार पुत्र श्री [illegible] सिंह निवासी ग्राम बल्ली पो0 राजाबाट पौड़ी गढ़वाल को [illegible] प्रस्तुत करने हेतु [illegible] / सा0प्रशा0 / लाईसेन्स निरस्तीकरण / 2009 दिनांक 29 [illegible] 2009 को पंजीकृत डाक से भेजा [illegible] चालक श्री [illegible] कुमार पुत्र श्री [illegible] सिंह आज दिनांक 27 02 2009 तक न तो स्वयं उपस्थित हुए [illegible] अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है।

अत पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल द्वारा लाईसेन्स संख्या [illegible]-968 / को[illegible] / 2004 को निरस्त [illegible] की [illegible] संस्तुति के आधार पर [illegible] के कारण [illegible] दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाईसेन्स अधिकारी के रूप में मैं करम सिंह सहायक सम्भागीय [illegible] अधिकारी [illegible] मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 (एफ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधि[illegible] का प्रयोग करते हुए दिनांक 12 02 [illegible] तक वैध उपरोक्त लाईसेन्स संख्या [illegible] 968 [illegible] / 04 को [illegible] करता हूँ।

06 अप्रैल, 2009 ई0

[illegible] / सा0प्रशा0 / लाईसेन्स निरस्तीकरण / 09 श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] सिंह [illegible] पो0 [illegible] लाईसेन्स संख्या 613 कोटद्वार / [illegible] दिनांक [illegible] 2011 तक [illegible] को चलाते वाहन संख्या यू0के0 [illegible] 12 व्यक्ति [illegible] दिनांक 14 03 2009 को [illegible] अधिकारी [illegible] चालक के [illegible] लाईसेन्स निरस्तीकरण [illegible] 03 2009 [illegible] 21 03 2009 को स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ, जो संतोषजनक नही पाया गया।

[illegible] मैं करम सिंह सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कोटद्वार मोटर [illegible] अधिनियम [illegible] की धारा 22 के [illegible] प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त लाईसेन्स संख्या [illegible] को [illegible] 09 से 05 [illegible] 2009 तक निलम्बित करता हूँ।

करम सिंह,
सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी
कोटद्वार।

कार्यालय, मुख्य अभियंता एवं निदेशक, प्रदेशीय अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, कालागढ़ (गढ़वाल)

विज्ञप्ति

28 फरवरी, 2009 ई0

संख्या 2253/प्रअप्रस/ई–7/119वां आधारभूत/स0अ0/सिंचि–प्रदेशीय अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, कालागढ़ के 119 वां आधारभूत पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणरत सहायक अभियंताओं हेतु संस्थान द्वारा दिनांक 10–10–08 से दिनांक 15–10–08 तक आयोजित परीक्षा में सम्मिलित निम्नलिखित सहायक अभियंताओं (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :–

क्र0सं0	नामांकन सं0	सहायक अभियंता का नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	गृह जनपद
		सर्वश्री		सर्वश्री	
1.	1857	जगदीश प्रसाद चमोली	13–08–50	गंगाप्रसाद चमोली	देहरादून
2.	1858	भुवन भास्कर पाण्डे	02–07–53	कृष्णानन्द पाण्डे	नैनीताल
3.	1859	भीम सिंह राणा	16–01–53	भूप सिंह राणा	अल्मोड़ा
4.	1860	सोबत सिंह चौहान	15–11–51	पूर्ण सिंह चौहान	टिहरी
5.	1861	क्षेमराज बहुगुना	12–09–51	पी0डी0 बहुगुना	देहरादून
6.	1862	मोहन सिंह कुमैया	24–10–50	गुमान सिंह कुमैया	अल्मोड़ा

28 फरवरी, 2009 ई0

संख्या 2252/प्रअप्रस/ई–7/120वां आधारभूत/स0अ0/लोनिवि–प्रदेशीय अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, कालागढ़ के 120 वां आधारभूत पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणरत सहायक अभियंताओं हेतु संस्थान द्वारा दिनांक 10–10–08 से दिनांक 15–10–08 तक आयोजित परीक्षा में सम्मिलित निम्नलिखित सहायक अभियंताओं (सिविल), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :–

क्र0सं0	नामांकन सं0	सहायक अभियंता का नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	गृह जनपद
		सर्वश्री		सर्वश्री	
1.	1863	अरविन्द कुमार बर्मन	24–03–79	यशपाल सिंह बर्मन	रुड़की
2.	1864	आशुतोष कुमार	01–01–77	मधुराज सिंह	देहरादून

प्रमोद कुमार भार्गव,
मुख्य अभियंता एवं निदेशक।

निदेशालय, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

विज्ञप्ति

20 मार्च, 2008 ई0

संख्या–डीटीईयू/0711/सेवा0/अधि0 क्षेत्र/09–सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम 1959, नियमावली, 1960 के नियम 7 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त नियम व धारा के अन्तर्गत पूर्व में प्रसारित समस्त विज्ञप्तियों को निरस्त करते हुए, मैं, गिरिजा शंकर जोशी, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख उल्लिखित अधिक्षेत्र के सेवायोजकों के सम्बन्ध में

सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम, 1959 (संख्या 31,1959) की धारा 6 में अभिदिष्ट अधिकारों के प्रयोग करने का प्राधिकार एतद्द्वारा प्रदान करता हूं :–

क्रमांक	अधिकारी का पदनाम	अधिक्षेत्र
1.	उप निदेशक (सेवायोजन), उत्तराखण्ड	सम्पूर्ण उत्तराखण्ड
2.	सहायक निदेशक (सेवायोजन), प्रशिक्षण एवं एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)	तदैव
3.	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून	जनपद देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार क्षेत्र
4.	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, लैंसडौन	जनपद पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग क्षेत्र
5.	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, अल्मोड़ा	अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ, चम्पावत, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र
6.	जिला सेवायोजन अधिकारी, नैनीताल	सम्पूर्ण जनपद, नैनीताल
7.	जिला सेवायोजन अधिकारी, पिथौरागढ	सम्पूर्ण जनपद, पिथौरागढ़
8.	जिला सेवायोजन अधिकारी, चम्पावत	सम्पूर्ण जनपद, चम्पावत
9.	जिला सेवायोजन अधिकारी, ऊधमसिंह नगर	सम्पूर्ण जनपद, ऊधमसिंह नगर
10.	जिला सेवायोजन अधिकारी, बागेश्वर	सम्पूर्ण जनपद, बागेश्वर
11.	जिला सेवायोजन अधिकारी, टिहरी	सम्पूर्ण जनपद, टिहरी
12.	जिला सेवायोजन अधिकारी, उत्तरकाशी	सम्पूर्ण जनपद, उत्तरकाशी
13.	जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार	सम्पूर्ण जनपद, हरिद्वार
14.	जिला सेवायोजन अधिकारी, चमोली	सम्पूर्ण जनपद, चमोली
15.	जिला सेवायोजन अधिकारी, रुद्रप्रयाग	सम्पूर्ण जनपद, रुद्रप्रयाग
16.	सहायक प्रवर्तन अधिकारी, देहरादून	सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य
17.	नगर सेवायोजन अधिकारी, पौड़ी	तहसील क्षेत्र, पौड़ी
18.	नगर सेवायोजन अधिकारी, रानीखेत	तहसील क्षेत्र, रानीखेत
19.	नगर सेवायोजन अधिकारी, काशीपुर	तहसील क्षेत्र, काशीपुर
20.	नगर सेवायोजन अधिकारी, हल्द्वानी	तहसील क्षेत्र, हल्द्वानी
21.	नगर सेवायोजन अधिकारी, रामनगर	तहसील क्षेत्र, रामनगर
22.	सहायक सेवायोजन अधिकारी, विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय (जनजाति), कालसी	सम्पूर्ण बकरौता तहसील क्षेत्र
23.	सहायक सेवायोजन अधिकारी, विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय (विकलांग), देहरादून	देहरादून जनपद क्षेत्र।

गिरिजा शंकर जोशी,
निदेशक।

कार्यालय, अपर निदेशक, पशुपालन विभाग (उत्तराखण्ड), गोपेश्वर–चमोली

"कार्यालय–आदेश"

19 मार्च, 2009 ई०

संख्या 3650/स्था०–एक/लि०सं०पदो०/08–09–विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर श्री आर० पी० गौनियाल, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–I मुख्यालय की पदोन्नति कार्यालय में रिक्त वैयक्तिक सहायक, वेतनमान रु० 9300–34800, ग्रेड वेतन रु० 4200.00 (पुराना वे०मा० रु० 5500–9000+100) (अधीनस्थ राजपत्रित) पद पर योगदान करने की तिथि से की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय लोक सेवा अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून में दायर रिट याचिका संख्या 118/टी/2002 (पुराना नं०–1801/97) के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

वी० पी० सिंह,
अपर निदेशक।

प्रभार प्रमाण–पत्र

23 मार्च, 2009 ई०

संख्या 3690/स्था०–एक/प्रभार/08–09–कार्यालय आदेश संख्या–3650/स्था०एक/लि०सं०पदो०/08–09, दिनांक 19–03–2009 द्वारा श्री आर० पी० गौनियाल, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रेड–1 की पदोन्नति वैयक्तिक सहायक (अधीनस्थ राजपत्रित) के पद पर हो जाने के फलस्वरूप वैयक्तिक सहायक (अधीनस्थ राजपत्रित) के पद का कार्यभार जैसा कि नीचे व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 23–03–2009 के पूर्वाह्न में निम्न प्रकार हस्तानान्तरित किया जाता है :–

ह०/– अस्पष्ट,
जी० डी० जोशी,

मुक्त अधिकारी

ह०/– अस्पष्ट,
आर० पी० गौनियाल,

गोपक अधिकारी

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

कार्यभार–ग्रहण प्रमाणक

17 मार्च, 2009 ई०

संख्या यू०ई०पी०सी०बी०/एच०ओ०/सामान्य–236/09/2857–1449–प्रमाणित किया जाता है कि वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की विज्ञप्ति सं०–328/10–3–09–13(5)/200, दिनांक 26–02–2009 जैसा कि इसमें बताया गया है कि, के क्रम में एवं इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, रुड़की के पत्रांक सं०–Estt. (A)/197/E-1975, दिनांक 16 मार्च, 2009 के क्रम में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यभार आज दिनांक 17 मार्च, 2009 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया।

प्रतिहस्ताक्षरित
ह०/– अस्पष्ट,
नृप सिंह नपलच्याल,
अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड शासन/
अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

कार्यभार ग्राही अधिकारी
ह०/– अस्पष्ट,
डा० अजय गैरोला,
सदस्य सचिव,
उत्तरखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन, श्रम विभाग, देहरादून

प्रभार प्रमाण–पत्र

17 मार्च, 2009 ई०

पृष्ठांकन संख्या 2561/VIII/70–श्रम/01–प्रमाणित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, उत्तराखण्ड, देहरादून का पदाधिकार उत्तराखण्ड शासन की विज्ञप्ति संख्या 2159/VIII/70–श्रम (भाग–2)/1, दिनांक 28 अगस्त, 2008 के अनुपालन में, जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है, दिनांक 01 सितम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से हस्तान्तरित किया गया।

प्रतिहस्ताक्षरित
अंजली प्रसाद
सचिव, श्रम।

अवमोचक अधिकारी,
ह0/– अस्पष्ट,
कान्ता प्रसाद,
पीठासीन अधिकारी।

वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून

पद भार ग्रहण प्रमाण–पत्र

05 दिसम्बर, 2008 ई०

प्रमाणित किया जाता है कि पत्रांक संख्या 668(1)/2008/12(100)/XXVII/03, तद्दिनांक के अनुसार माननीय उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8, संख्या /2008/12(100)/XXVII/03, देहरादून, दिनांक 28 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना के अनुपालन में मेरे द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/द्वितीय द्रुतगामी न्यायालय, देहरादून के दायित्वों के अतिरिक्त वाणिज्य अधिकरण, उत्तराखण्ड में त्रिसदस्यीय का पद भार, आज दिनांक 5–12–08 को अपराह्न, में ग्रहण किया गया।

एच0 एस0 बोनाल,
एच0जे0एस0।

प्रतिहस्ताक्षरित,
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट

कार्यभार हस्तान्तरण प्रमाण–पत्र (स्थानान्तरण)

20 फरवरी, 2009 ई०

पत्रांक– 1733/13–1–1–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1 की पत्र संख्या–191/एक्स–1–2009–4(22)/2007, टी0सी0–1, देहरादून, दिनांक 16–02–2009 से निर्गत विज्ञप्ति के अनुपालन में आज दिनांक 20–02–2009 के अपरान्ह में प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग का कार्यभार श्री गिरधारी सोनार, प्रभागीय वनाधिकारी को हस्तान्तरित किया।

कार्यभार मुक्त अधिकारी,
ह0/– अस्पष्ट,
मुकुल कुमार जोशी,
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

कार्यभार ग्राही अधिकारी,
ह0/– अस्पष्ट,
गिरधारी सोनार,
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 हिन्दी गजट/241–भाग 1–क–2009 (कम्प्यूटर/रैंजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।